RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 ₹ :20

केशव संवाद

फाल्गुन-चैत्र, विक्रम सम्वत् 2078 (मार्च -2022)

हिजाब या किताब

सरस्वती शिशु मन्दिर

सी–41, सेक्टर–12, नोएडा, गौ.बु. नगर (उ.प्र.)

दूरभाष: 0120–4545608

ई–मेल: ssm.noida@gmail.com

वैबसाइड: www.ssmnoida.in

विद्यालय की विशेषताऐं

- भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रयास।
- नवीन तकनीकी शिक्षा प्रोजैक्टर, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी., कैमरा आदि की सुविधा।
- आर.ओ. का शुद्ध पेय जल, सौर ऊर्जा, विशाल क्रीड़ा स्थल व हरियाली का समुचित प्रबन्ध।
- प्रखर देशभक्ति के संस्कारों से युक्त उत्तम मानवीय व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल।
- सामाजिक चेतना एवं समरसता के विकास के लिए विविध क्रियाकलाप।
- विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से आपके सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

मधुसूदन दादू	प्रदीप भारद्वाज	असित त्यागी	प्रकाश वीर
(अध्यक्ष)	(व्यवस्थापक)	(कोषाध्यक्ष)	(प्रधानाचार्य)

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

मार्च, 2022
वर्ष : 22 अंक : 03

अणंज कुमार त्यागी
अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र,
डॉ. नीलम कुमारी, रामकुमार शर्मा
डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी
अनुपमा अग्रवाल

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन नं. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से
मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा
चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि.
नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन
105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड
मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

हिन्दुत्व सनातन परम्परा, धर्म या पंथ नहीं	- प्रो. अनिल निगम.....05
स्वतंत्रता आन्दोलन के उत्प्रेरक पत्रकार	- अशोक कुमार सिन्हा....06
हिजाब का मामला उग्र रूप में सामने आया	- डॉ. वेद प्रकाश शर्मा....08
मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंधित है हिजाब	- डॉ.विनीत उत्पल.....09
हिजाब विवाद - भारत का तालिबानीकरण...	- मृत्युंजय दीक्षित.....10
इन्होंने गांधी जी की नहीं सुनी	- नरेन्द्र भदौरिया.....11
स्मृति शेष... स्वर कोकिला लता मंगेशकर	- मोनिका चौहान.....13
भारतीय संस्कृति : दुनिया को जोड़ने का...	- पंकज जगन्नाथ.....14
केशव संवाद पत्रिका के फरवरी अंक की समीक्षा	- डॉ. प्रियंका सिंह.....15
अखण्ड भारत की समृद्धशाली विरासत ...	- प्रो. (डॉ) हरेन्द्र सिंह.....16
उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों में मार्च में...	- डॉ. एस. के. त्यागी.....19
शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि	- मोहित कुमार.....20
आरक्षित नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी	- अनुपमा अग्रवाल.....22
कब तक चलेगा यह धर्मांतरण	- रंजना मिश्रा.....23
हामिद अंसारी और उनकी भारत विरोधी ...	- डॉ. प्रताप निर्भय सिंह...24
उत्सव मंथन	- नीलम भागी.....26
केन्द्रीय वजट और पर्यावरणीय पहल	- डॉ. आनन्द मधुकर.....28
पहनावा एक पहचान	- प्रो. विनोद सिंह 30
छद्म धर्मनिरपेक्षता और राजनीति	- डॉ. उर्विजा शर्मा.....32
सप्तपुरियों में से एक : अयोध्या	- शिखा सिंह.....33

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail-com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय

रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण उपजे संकट का सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। यूक्रेन पर रूस का हमला अमेरिका के साथ-साथ यूरोप के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस संघर्ष से पूरे विश्व में संकट के हालात पैदा हो गए हैं। हमले की जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने अनुपस्थित होकर स्वयं को मतदान से दूर रखा। वहीं भारत ने अपना रुख बताते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि वह रूस के यूक्रेन हमले से खुश नहीं है। भारत ने हिंसा व शत्रुता को तुरंत खत्म कर शांति स्थापित करने के सभी प्रयास करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। ऐसी स्थिति में भारत की शीर्ष प्राथमिकता वहां फंसे मेडिकल के छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उनका स्वागत किया और अभी भी छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में वैश्विक चुनौतियों से एक बात हम सभी भारतवासियों को जरूर सीखनी चाहिए वह है आत्मनिर्भरता। जब भी कभी हमें किसी प्रकार की बाह्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तो यह निश्चित है कि अपनी शक्ति, आत्मविश्वास, क्षमता व दक्षता ही काम आएगी। इसलिए आवश्यक है कि सब भारतवासी एक होकर देश को आगे लेकर चलें जो किसी भी धर्म, धर्म अथवा संप्रदाय से ऊपर हो। परंतु दुखद तो यह है कि कुछ बाह्य शक्तियां देश में धर्म संप्रदाय विशेष के मन में घृणा का बीज बोकर हिन्दुस्तान को कमजोर करने का षड़यन्त्र कर रही है। इससे यह बात तो निश्चित है कि भारत की शक्ति का अहसास दुनिया को है और कुछ शक्तियां उसे कमजोर करने का कार्य कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में ही उपजे हिजाब विवाद से हम समझ सकते हैं। धर्म के नाम पर मुस्लिम बच्चियों को उकसाने का निंदनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के अधिकार से वंचित कर उनकी सोचने व समझने की शक्ति को क्षीण करने का प्रयास जारी है।

जहां हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय संसद द्वारा तीन तलाक को अवैध ठहराने संबंधी कानून बनाने पर न केवल मुस्लिम माहिलाओं अपितु मुस्लिम विद्वानों ने भी खुशी जताई थी, वहीं पिछले महीने कर्नाटक के एक कॉलेज की आधा दर्जन छात्राओं द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर हिजाब पहनने को अपना संवैधानिक आधिकार बताना एक षड्यन्त्र का हिस्सा है। लगता है कि यह उन कट्टरपंथियों की साजिश का हिस्सा है जो इक्कीसवीं शताब्दी में भी मुस्लिम माहिलाओं को मजहबी बेड़ियों में बांधकर रखना चाहते है। ये कट्टरपंथी माहिलाओं की आजादी को उनके विकास के लिए आवश्यक नहीं अपितु इस्लाम के लिए खतरा मानते हैं। वास्तविकता यह है कि हिजाब न केवल गैर-इस्लामिक है बल्कि माहिलाओं के प्रति क्रूरता का प्रतीक है तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने से रोकने का प्रयास है। अमेरिका जैसे देशों द्वारा हिजाब विवाद पर सवाल उठाया जाना, ऐसे मुद्दों को भड़काकर भारत में अस्थिरता फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र की ओर भी इशारा करता है। क्लिन्ट इस्टवुड के शब्दों में, "यदि आप बेहतेरी के लिए परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आपको चीजों को अपने हाथों में लेना होगा", और शायद वो समय आ पहुंचा है जब इस्लामिक कट्टरवाद से मुक्ति पाने के लिए भारत की मुस्लिम माहिलाओं ने चीजों को अपने हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया है। इससे एक तरफ तो मजहबी कट्टरवादियों एवं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के प्रयास असफल होंगे और दूसरी तरफ भारत में एकसमान नागरिक संहिता का मार्ग प्रशस्त होगा।

जिस प्रकार उन्नत बीज को लगातार धरती पर बोये जाने पर उसकी गुणवत्ता, प्रभुत्व एवं प्रभाव को वह सफल रुप से प्रदर्शित नहीं कर पाता उसी प्रकार यदि मनुष्य उचित अवसर का लाभ ले पाने में सक्षम नहीं बनता तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अक्षम रह जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा के लाभ को प्राप्त कर मुस्लिम बच्चियां भी मुख्यधारा में सम्मिलित होकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

हिन्दुत्व सनातन परंपरा, धर्म या पंथ नहीं

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

हरिद्वार और रायपुर की धर्म संसद में दिए गए बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हिंदुत्व और आरएसएस में भरोसा करने वालों के ये विचार नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत के इस बयान से हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आ गई है। कुछ सियासतदां हिंदुत्व को लेकर अपने सियासी लाभ के लिए भ्रामक और अनर्गल जानकारियां लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए परोसते रहे हैं।

जैसा कि पूर्व विदित है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को लेकर पहले ही भ्रामक और अनर्गल जानकारी देकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर चुके हैं। 7 फरवरी को नागपुर में लोकमत मीडिया समूह द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला–'हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता' विषय पर सरसंघ चालक कहते हैं कि हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों पर और रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी हिंदू और संघ को स्वीकार नहीं है। संघ समुदाय को बांटने का नहीं संगठित करने का काम करता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई स्वीकार करे अथवा नहीं, पर भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारे संविधान का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकाचार हिंदुत्व था, जो राष्ट्रीय एकीकरण के समान था। संघ प्रमुख ने कहा, 'वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट और संगठित हो जाता है तो वह भगवद्गीता के बारे में बोलेगा न कि किसी को खत्म करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बोलेगा।'

यहां यह उल्लेखनीय है कि विगत दिवस हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ प्रस्ताव पास किए गए थे और रायपुर की संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थीं। इसके पूर्व कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्याः नेशनहुड इन आर टाइम्स' में हिंदुत्व की तुलना इस्लामी आतंकी संगठनों बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से किए जाने से संपूर्ण देश में सियासी तूफान आ गया था। अपनी राजनैतिक जमीन खिसकती देखकर जगह–जगह मंदिरों में माथा टेककर आस्थावान होने का स्वांग करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुर्शीद के बचाव में उतर गए थे। हास्यास्पद यह है कि राहुल गांधी ने हिंदूइज्म और हिंदुत्व को न केवल अलग–अलग बता दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि हिंदूइज्म कांग्रेस की विचारधारा है जबकि हिंदुत्व भाजपा की। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग हैं। अगर दोनों एक ही होते तो उनका नाम भी एक होता और हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती अथवा हिंदू को हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं होती। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोकोहरम जैसे विश्व के सबसे क्रूर आतंकी संगठनों से कर दी। कहने का आशय यह है कि धर्म संसद और कांग्रेस दोनों ने ही हिंदुत्व की गलत व्याख्या कर समाज में भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की।

हिंदुत्व को समझने के लिए आरएसएस की संरचना और उसकी विचारधारा को गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है। इस बात को मोहन भागवत के वक्तव्यों और विचारों से समझा जा सकता है। सरसंघचालक ने अपनी पुस्तक 'यशस्वी भारत' में हिंदू का अर्थ बताया है कि हमारे देश का संदेश है विविधता में एकता। इसलिए जो भारत माता का पुत्र है वह हिंदू है। इस विविधता में एकता मानने वाली संस्कृति को यहां तक लाने के लिए पसीना बहाया, खून दिया, उनका आदर–सम्मान करता है, उनकी कृति का अनुग्रहण करता है, वह हिंदू है। इसी तरह से 15 अक्टूबर, 2021 को विजय दशमी के दिन अपने भाषण में सर संघ चालक हिंदुत्व का आशय स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को अक्सर पूजा से जोड़कर संकुचित कर दिया गया है जबकि वास्तव में अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एक मात्र शब्द हिंदुत्व है।

इसी तरह से 4 जुलाई, 2021 को गाजियाबाद में एक पुस्तक विमोचन के समय मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं हैं। हम पिछले 40 हजार वर्षों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हिंदू–मुसलमान एकता भ्रामक है क्योंकि वे पहले से ही एक हैं। पूजा के तरीके के आधार पर लोगों में अंतर नहीं किया जा सकता। अगर कोई हिंदू कहता है कि यहां कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनेता देश के लोगों के मन–मस्तिष्क में जहर घोलने और हिंदुत्व को लेकर भ्रम फैलाने का काम निरंतर करते रहते हैं। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद हिंदुत्व की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। उसका कहना है कि "हिन्दुत्व एक जीवन शैली है, यह धर्म अथवा पंथ नहीं है। उसका मतलब है हिन्दूपन, जिसमें कई पूजा पद्धतियां शामिल हैं। ''यह शब्द भी ठीक वैसे ही बना है जैसे मधुर–मधुत्व, सुंदर–सुंदरत्व, स्त्री–स्त्रीत्व, बंधु–बंधुत्व, बुद्ध–बुद्धत्व, गुरु–गुरुत्व, मनुष्य–मनुष्यत्व होता है। वैसे ही हिन्दू–हिन्दुत्व होता है। हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल बंकिमचन्द्र के आनंदमठ में हुआ था। इसी के बाद उन्हीं के अनुयायी चंद्रनाथ बसु ने 1892 में इस शब्द का इस्तेमाल अपनी किताब में किया। बाद में सावरकर ने इसे राजनैतिक विचारधारा से जोड़ दिया। संघ विचारक राकेश सिन्हा कहते हैं कि हिंदू अस्तित्व की पहचान है कि आप अपनी आस्था से, जन्म से, मन से हिंदू हैं। लेकिन अपनी पहचान के प्रति सजग होना और उसके प्रति चेतना का विकास होना हिंदुत्व है। अर्थात पहचान से हिंदू होने का तात्पर्य है कि क्षमाभाव, प्रेमभाव और आचरण की शुद्धता होना, अहिंसा के रास्ते पर चलना और विविधता को महत्व देना। हिंदू शब्द भाववाचक है। जब हम कहते हैं हिंदू तो उसका मतलब होता है विविधता को महत्व देना। ये विविधता कृत्रिम नहीं है, ये हिंदू के अंतरमन में बैठी हुई है। विविधता के बिना हिंदू शब्द की कल्पना करना अर्थहीन है। हिंदू होने की इन सभी विशेषताओं के प्रति सजग होना, इनका क्षरण न होने देना हिंदुत्व है।

अंत में मैं एक श्लोक का स्मरण आपको कराना चाहूंगा कि **"ऐक्यं बलं समाजस्ये तदभावे से दुर्बलः। तस्मादैक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्रहितैषिणः।"** कहने का आशय है कि अगर अकेला व्यक्ति खड़ा होता है तो राष्ट्र दुर्बल होता है। पर जब लोगों में एकता आ जाती है तो राष्ट्र का हित होता है। हिंदू और हिंदुत्व अपने में विराट वैभव और वृहद अर्थ को समाहित किए हुए है। इसलिए इनके अर्थ और व्याख्या को इसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा राष्ट्र और समाज अधिक समृद्ध और सशक्त होगा। **(लेखक, आईएमएस, गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं)**

ISSN No. 2581-3528

स्वतन्त्रता आन्दोलन के उत्प्रेरक पत्रकार

अशोक कुमार सिन्हा

हिन्दी पत्रकारिता भारत में अपने जन्म काल से ही स्वतन्त्रता आन्दोलन में उत्प्रेरक की भूमिका में अग्रणी रही। अन्याय, अज्ञान, प्रताडऩा और राष्ट्र धर्म निभाने वालों के उत्पीड़न यदि उजागर हुये तो यह कार्य समाचार पत्रों ने किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में पत्र–पत्रिकायें व पत्रकार जन भावना की अभिव्यक्ति बने। पत्रकारों ने अपने कलम से भारतीय क्रान्तिवीरों का जहां मार्गदर्शन किया, वहीं जनमानस का मनोबल बढ़ाया। लगभग प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ने अपने आन्दोलन के विविध कार्यों के साथ समाचार पत्र भी निकाले। महर्षि अरविन्द घोष, भूपेन्द्रनाथ दत्त, डॉक्टर एनी बेसेन्ट, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि सभी ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिये अखबार प्रकाशित करने का कार्य किया है। उस समय यह माना जाता था कि–

खींचो ना कमानो को,
ना तलवार निकालो।
जब तोप मुकाबिल हो तो,
अखबार निकालो।।

उग्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रकारों के लेखन से अंग्रेज बहुत भयभीत और परेशान रहते थे। प्रसिद्ध क्रान्तिवीरों में सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, आचार्य नरेन्द्र देव, योगेश चन्द्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल, यशपाल अपने लेखों से इन पत्रों में जन जागरण और जोश भरने का कार्य करते थे। उदन्त मार्तण्ड (कोलकाता), कवि वचन सुधा (काशी), हिन्दुस्तान (लन्दन एवं कालाकांकर प्रतापगढ़) सरस्वती (काशी), प्रताप (कानपुर), कर्मवीर (जबलपुर), आज (बनारस), 'अल्मोड़ा' अखबार, बिहार बन्धु (पटना), हिन्दी केसरी (पूना), मराठी केसरी (पूना), स्वराज (इलाहाबाद), और गुप्त पत्रों में 'रणभेरी', 'शंखनाद', 'चिंगारी' 'रणडंका', 'चण्डिका' और 'तूफान' नामधारी पत्रों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में अंग्रेज शासकों के दांत खट्टे कर दिये थे। गुप्त पत्रों को निकालने में विष्णुराव पराड़कर, रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त आदि तपस्वियों ने विप्लव पत्र के रूप में इसे निकाला। इन गुप्त पत्रों के प्रकाशक एवं मुद्रक डीएम व प्रकाशन स्थान कोतवाली लिखे जाते थे। गुप्तचर विभाग इन गुप्त पत्रों के छपने का स्थान ढूंढता रहा परन्तु रोज प्रातः चार बजे स्वतन्त्रता सेनानी लोगों के घरों में चौखट के नीचे से अखबार सरका जाते थे। इन पत्रों में देश को स्वतन्त्र कराने और अंग्रेजी शासन के अत्याचार और लूटमार की खबरें प्रमुखता से मुद्रित की जाती थीं। जनजागरण के इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध इनमें सामग्री भरी रहती थी।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय 8 फरवरी 1857 को स्वतन्त्रता आन्दोलन नेता अजीमुल्ला खाँ ने 'पयामे आजादी' दिल्ली से प्रकाशित किया। इसका मराठी संस्करण झांसी से प्रकाशित होता था। इसमें मंगल पाण्डे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी बाई आदि की संघर्ष कथाएं मुद्रित होती थीं। 1900 से 1920 के युग में लोकमान्य तिलक के मराठी दैनिक 'केसरी' ने राजनैतिक जड़ता को तोड़कर भारतीय समाज को पूर्ण स्वराज्य की ओर प्रेरित किया। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होने पर महर्षि अरविन्द ने 'वन्दे मातरम' प्रकाशित कर अंग्रेजों को सन्देश दिया कि, भारत भारतीयों के लिये है। इसी समय युगान्तर (बांग्ला), 'संध्या' (बंगला) भी प्रकाशित हुये। 2 जनवरी 1881 से अंग्रेजी में प्रकाशित 'मराठा' और 3 जनवरी 1881 से मराठी भाषा में लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' प्रकाशित कर घोषित कर दिया कि स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लोकमान्य तिलक की लेखनी प्रभावी और भाषा अक्रामक होती थी। 1903 में नागपुर से हिन्दी केसरी का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसके सम्पादक माधव राव सप्रे थे। 9 नवम्बर 1913 में कानपुर से 'प्रताप' का प्रकाशन हुआ जिसके कर्ताधर्ता सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। पत्र के प्रथम मुख्य पृष्ठ पर ही निम्न पंक्तियाँ सिद्धान्त रूप में छपती थीं।–

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नर–पशु निरा है और मृतक समान है।

1919 में गोरखपुर से 'स्वदेश' का प्रकाशन हुआ जिसके सम्पादक और संस्थापक दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। यह पत्र 1939 तक चला। इसमें राष्ट्रीय विचार से उग्र लेख लिखने पर बेचन शर्मा 'उग्र' व सम्पादक दशरथ शर्मा द्विवेदी को समय–समय पर जेल जाना पड़ता था। जलियाँवाला बाग काण्ड के बाद महात्मा गांधी द्वारा 'यंग इण्डिया' इसी का गुजराती संस्करण 'नवजीवन' और 'हिन्दी नवजीवन' प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ जो बाद में 'हरिजन' नाम से संयुक्त रूप से प्रकाशित होने लगा। इन पत्रों ने असहयोग सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलन को सक्रियता प्रदान की। 1920 में जबलपुर से 'कर्मवीर, सप्ताहिक और 1923 में अर्जुन को 1939 में 'वीर अर्जुन' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसके सम्पादक इन्द्र विद्यावाचस्पति थे। पत्र का आदर्श वाक्य था 'न दैन्य न पलायनम्'। बाबूराव विष्णु पराडकर एवं आचार्य नरेन्द्र देव भूमिगत पत्रकारिता के प्रमुख स्तम्भ थे जिन्होंने बवण्डर, रणभेरी, बोल दे धावा, शंखनाद, और ज्वालामुखी को साइक्लोस्टाइल छाप कर जनता को जगाया।

1930 में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द ने हंस, प्रकाशित किया जिसके प्रथमांक में स्पष्ट किया गया कि ''अगर स्वाधीनता केवल मन की वृत्ति है। इस वृत्ति का जागना ही स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार ने जन्म ही न लिया था। हमारी चेतना इतनी मन्द, शिथिल और निर्जीव हो गई थी, उसमें ऐसी महान कल्पना का अविर्भाव ही ना हो सकता था, पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की

ISSN No. 2581-3528

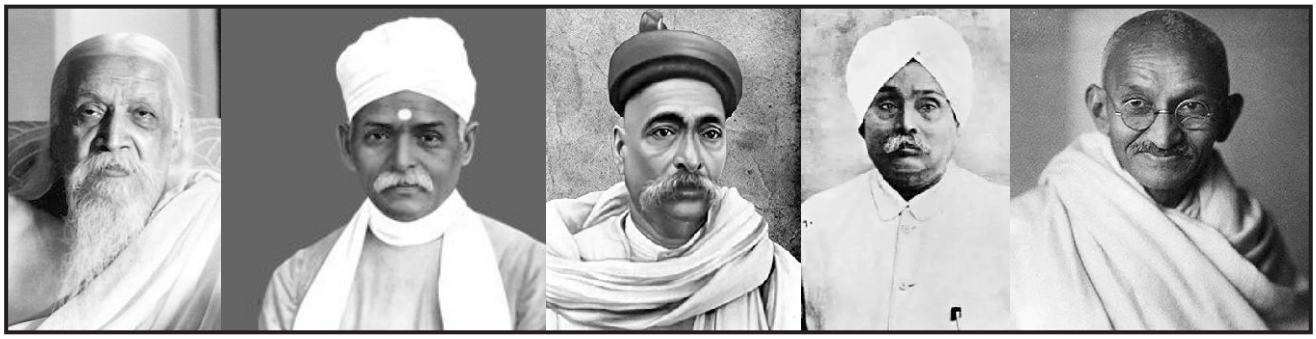

सृष्टि कर दी। अब यह बढ़ेगा फूले–फलेगा''1 जनवरी 1943 ईस्वी को बाबूराव विष्णु पराड़कर के सम्पादन में 'संसार' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। क्रान्तिकारी यशपाल ने 'विप्लव' प्रकाशित किया। 1938 के इसके अंक में छपा "आज हम अपनी गुलामी की इन हथकडियों को तोड़ डालने के लिये अपनी दासता के बन्धनों को आग में जला देने के लिये विप्लव के कुण्ड में कूद पड़े हैं। आज हिचकिचाने का और शंका करने का समय नहीं है।''

5 सितम्बर 1920 से बनारस के बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने ज्ञान मण्डल लिमिटेड की स्थापना कर हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। राष्ट्रप्रेम से अनु प्रमाणित इस पत्र ने सदैव ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीतियों का विरोध किया। अंग्रेजों द्वारा एकाधिकबार इसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाया। 21 अक्टूबर 1930 से 8 मार्च 1931 तक विरोध स्वरूप सम्पादकीय स्तम्भ के स्थान पर केवल यह वाक्य प्रकाशित होता था कि देश की दरिद्रता, विदेश जाने वाली लक्ष्मी, सर पर बरसने वाली लाठियां, देशभक्तों से भरने वाला कारागार, इन सबको देख कर प्रत्येक देश भक्त हृदय में जो अहिसांमूलक विचार उत्पन्न हो, वही सम्पादकीय विचार हैं।

आज के संवाददाताओं में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा इसके सम्पादकों में श्री प्रकाश एवं विष्णु राव पराडकर प्रमुख थे। पराडकर जी ने अपने प्रथम सम्पादकीय में लिखा– ''हमारा उद्देश्य अपने देश के लिये सब प्रकार से स्वातन्त्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतन्त्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ायें, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उनको ऐसा बनायें कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो।'' 'आज' हमने अपने इस उद्देश्य को पूरा किया।

इस दौर की पत्रकारिता ने राजनीति को साहित्य में अलग कर दिया। मतवाला, हंस, चांद, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 31 मई 1924 के 'मतवाला' के सम्पादकीय में अन्तिम पैरा में छपा... यदि आप स्वतन्त्रता के अभिलाषी हैं, अपने देश में स्वराज की प्रतिष्ठा चाहते हैं तो तन मन धन से अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरम्भ कीजिये। 1923 में राजस्थान सेवा संघ की ओर से 'तरुण राजस्थान' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो निर्भीकता से सम्पादक शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का शंखनाद हुआ। दोनों सम्पादकों पर राजद्रोह का मुकदमा चला और छह–छह महीने की सजा हुई। सेवा संघ के कार्यालय पर पुलिस का छापा पड़ा जहां संवाददाताओं की सूची अंग्रेजों के हाथ लगी और उन पर कहर ढाया गया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में क्रान्तिवीरों में जोश भरने और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाने वाले साहित्य साधक गया प्रसाद शुक्ल सनेही को हमें स्मरण करना चाहिये। जिसकी कविता और रचनायें अंग्रेजों को त्रिशूल की भांति चुभती थीं। ये देश प्रेम और मानवतावाद के अनोखे कवि थे। 21 अगस्त 1883 को उन्नाव जनपद में हड़हा गांव में जन्मे इस कवि को सार्वजनिक कवि सम्मेलन के आयोजन का श्रेय तो जाता ही है साथ ही राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक के रूप में प्रसिद्ध हुये। त्रिशूल नाम से इनकी कवितायें कानपुर के प्रताप सहित अन्यान्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी।

अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 20 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतर सुइया में हुआ था। बाद में पीजीएन कॉलेज कानपुर में अध्यापन करते समय क्रान्तिकारी सुन्दरलाल से प्रभावित हुए। इन्होंने 'प्रताप' का सम्पादन किया जहां उनका सम्पर्क भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी भगवती चरण वर्मा की पहली रचनायें 'प्रताप' में ही छपी। गणेश जी भारती युवक, हरि, दिवाकर, वक्रतुण्ड, कलाधर, लम्बोदर, वन्दे मातरम और गजेन्द्र आदि छद्म नाम से राष्ट्रीय भक्ति का अलख जगाया और अपनी सादगी, सेवा भावना व सक्षम लेखनी से अमर हो गये। वे एक निर्भीक देशभक्त सेनानी थे। 25 मार्च 1931 को वे कानपुर में अज्ञात मुस्लिम धर्मान्धो के हाथ शहीद हो गये।

माखन लाल चतुर्वेदी मूलतः कवि और स्वदेश गौरव गान, राष्ट्रीय जागरण, यवनों के प्रति घृणा स्वदेशी के प्रचार और भारत माता के वन्दना में वे महान हो गये।

स्वतन्त्रता की अलख जगाने में अल्मोड़ा से प्रकाशित 'अल्मोड़ा अखबार' की बुद्धि वल्लभ पन्त, कुमाऊं केसरी के बद्री दत्त पाण्डेय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखने पर जुर्माने के भागीदार बने। उस समय की एक कहावत थी कि ''एक गोली के तीन शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार''। इस क्षेत्र में अल्मोड़ा अखबार के बन्द होने पर 18 अक्टूबर 1918 में विजय दशमी के दिन 'शक्ति' नाम से बद्रीदत्त पाण्डेय ने दूसरा अखबार निकाला जो स्वतन्त्रता आन्दोलन में उत्प्रेरक का एक स्तम्भ बना। इसी क्रम में 1930 में विजय और 1937 में उत्थान व इंडिपिडेन्ट इण्डिया और 1939 में पिताम्बर पाण्डेय ने हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन किया जो अपने आक्रामक तेवरों के कारण 1940 में उसके सम्पादक को सजा व 300 रुपये जुर्माने का दण्ड मिला।

यह सुस्पष्ट है कि हिन्दी के पत्र स्वतन्त्रता आन्दोलन के सक्षम सेनानी सिद्ध हुये हम स्वतन्त्र हुये और आज स्वतन्त्रता 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं अतः इन पत्रकारों को हम श्रद्धांजलि देते हुये इनकी प्रेरणात्मक रचनाओं व शैली को नमन करते हैं।

(लेखक प्रसिद्ध लेखक, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं विश्व संवाद केन्द्र अवध लखनऊ के प्रमुख हैं)

ISSN No. 2581-3528

हिजाब का मामला उग्र रूप में सामने आया

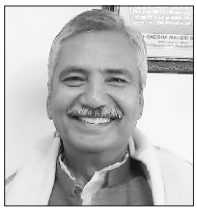

डॉ. वेद प्रकाश शर्मा

देश का एक वर्ग समय–समय पर अपने लिए कुछ ना कुछ अलग तरह की मांग करता रहता है जेसे अभी हाल में ही कर्नाटक में छात्राओं द्वारा हिजाब का मामला उग्र रूप में सामने आया है। परंतु ऐसा नहीं कि यह देश में इस तरह का पहला मामला है अपितु इस तरह के अन्य मामले इसी वर्ग द्वारा समय–समय पर आते रहते हैं यानी उन्हें देश के अन्य नागरिकों से अपने आपको अलग दिखाना, बताना और जताना होता है। वह कभी श्रीमद्भागवत गीता के अध्ययन को लेकर विरोध दर्ज करवाते हैं, कभी सूर्य नमस्कार को लेकर, कभी शारीरिक अभ्यास के लिए या शारीरिक व्यायाम के लिए योग के प्रति विरोध करके, कभी भारत राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर भी ऐसा ही बेतुका विरोध करना अपने धर्म का पालन करना समझते हैं।

इन विषयों पर आज से ही नहीं अपितु भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के उपरांत से ही नहीं अपितु उस के पूर्व से ही इस तरह की बेतुकी बातें करना यह अपना विशेष अधिकार समझते हैं। परंतु विचारणीय यह है कि क्या यह महज एक वर्ग विशेष का धार्मिक मामला है या इस तरह की बातें करना उनका अधिकार है? तो संभवतः यह न तो कानूनी दृष्टि से उचित है और न ही सामाजिक दृष्टि से उचित है क्योंकि यह भारतीय संविधान में प्रदत्त सार्वभौम सत्ता को एक तरह से चुनौती देना है क्योंकि भारत में प्रजातंत्र का शासन है जिसमें बहुमत से चुनी सरकार को देश के हित में नागरिकों के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है।

परन्तु एक विशेष वर्ग भारत सरकार की इस सार्वभौम सत्ता को इस तरह के कामों से प्रकारान्तर से चुनौती देने का काम करता रहता है। क्योंकि वह चुनी हुई सरकार के बनाए नियमों को अपने धर्म की आड़ में चुनौती देने का काम करता है और सरकार तथा देश के कानूनों के प्रति असम्मान का भाव तो व्यक्त करता ही है अपितु वे येने केन प्रकारेण बलपूर्वक गैरकानूनी तरीके से उग्र विरोध प्रदर्शन करके अपने आप को देश से, समाज से तथा राष्ट्र से अलग बताने का प्रयत्न भी करता है। जबकि इसे किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जिसके दूरगानी परिणाम हम पूर्व में ही देश के विभाजन के रूप में देख ही चुके हैं, जो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से शुरू होकर अपने लिए पृथक देश की मांग तक जा पहुंचता है। यह बात अलग है कि उसके बाद भी इनकी इस तरह की उग्रता व हिंसा पारस्परिक भी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की उग्रता के विरुद्ध या सामाजिक समरसता के समर्थन में कोई भी इस वर्ग में से निकलकर आगे नहीं आता है। अपितु सब के सब इसके समर्थन में उतर आते हैं। कुछ मौन रहकर, कुछ सामने आकर, कुछ कानूनी तरीके से समर्थन देकर और इससे अधिक शर्म की बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टियां भी इनके समर्थन में आ जाती है और कुछ खुलकर और कुछ दबे स्वर में, इस तरह सब के सब समर्थन करने लगते हैं और यदि दूसरा वर्ग इस अनुचित कार्य का विरोध करें इनके समर्थक उल्टा उनपर ही कट्टरता का आरोप सुनियोजित ढंग से मढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ राजनीतिक पार्टियां विभाजन के समय की इनके समर्थन की अपनी नीति को दोहराने में भी शर्म नहीं करती है और न ही उचित बात कहने का साहस कर पाती है। अपितु विभाजनकारी विचार व्यक्त करना अपना राजनीतिक एजेंडा बना लेती हैं और दूसरे वर्ग पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देती हैं।

इसका तीसरा पहलू यह भी है कि यदि यह धार्मिक मामला है तो क्या विशेष वर्ग के कुछ लोगों का मामला है जबकि उस वर्ग में भी बहुत संख्या में लोग बिना हिजाब, बिना टोपी, बिना दाढ़ी या अपने मत के पारंपरिक लिबास के बिना भी जीवन सहजता से जीते हैं जबकि कुछ ही लोगों को इस तरह के दकियानूसी कट्टर या विभाजनकारी कार्य रास आते हैं। जबकि बाकी को नहीं, तो क्या वे अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है जबकि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें ये लोग अपने धर्म से खारिज क्यों नहीं कर देते हैं या उन अपने वर्ग के लोगों पर वह ऐसी पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं। दूसरी बात है देश के कानून की तथा सामाजिकता की व सामाजिक सौहार्द की जिसे किसी तरह तोड़ना अपराध तो है ही नैतिक जुर्म भी है। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है यह आप के अपने आप तक सीमित है, यदि आप इसके बहाने जबरदस्ती कानून तोड़ने और देश में वैमनस्य फैलाने का काम करेंगे तो यह देश हित में न होकर देश का अहित अधिक होगा।

एक और मजेदार बात यह है कि बहुत सी बातें धर्म का हिस्सा ही नहीं होती है। ऐसी बहुत सी बातें शुद्ध इस्लामिक देशों में भी बेशक नहीं मानी जाती हैं परंतु भारत में कुछ कट्टरपंथी लोग मजहब की अपने अनुसार व्याख्या करके धर्म में मनमानी बातें लाद देते हैं और उन्हें धार्मिक मामलों का रूप दे देते हैं और उस आदेश के विरुद्ध तथा समाज के साथ–साथ मानवता के विरुद्ध भी उपयोग करते हैं जैसे तीन तलाक का मामला। उसे कुछ लोग धार्मिक मामले का रूप देकर महिलाओं का शोषण और उनके प्रति अन्याय बताते रहे और इस बहाने देश की सरकार को और न्यायालय तक को भी चुनौती देते नजर आए थे जबकि ऐसा उनके मजहब में था ही नहीं और इस्लामिक देशों में भी कहीं नहीं था तो क्या इस तरह कट्टरपंथियों की मनगढ़ंत बातें अनुचित नहीं हैं? क्या भारत सरकार को, देश की जनता को, बुद्धिजीवी वर्ग को, मीडिया को, ऐसे कट्टरपंथी लोगों की पहचान करके, उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए ताकि देश में समरसता सौहार्द व देश की अखंडता और संप्रभुत्ता सदा बनी रहे और देश उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो सके और समाज उनके घृणित चेहरों को पहचान सके और सरकार को भी कठोर कानून बना कर इन चेहरों से कठोरता से निपटना चाहिए।

(लेखक साहित्यकार हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंधित है हिजाब

मुस्लिम लड़कियां न पढ़ें, इसलिए शैक्षिक संस्थाओं को किया जा रहा है टारगेट

डॉ. विनीत उत्पल

मुस्लिम लड़कियां समुचित और सही ढंग से शिक्षित हों, उनमें आधुनिक और आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो, अपने ज्ञान और व्यवहार से उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कायम हो, जैसे मुद्दे से दूर शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों को आने को लेकर तमाम तरह के तर्क–वितर्क किये जा रहे हैं। इस्लाम धर्म और कुरान को लेकर बहस की जा रही है, मुस्लिम लड़कियां अध्ययन से दूर रहें, अपने पैरों पर खड़ी न हो पायें, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि अलग–अलग कारणों से दुनिया के कई देशों में चेहरे ढ़कने वाले कपड़े, हिजाब पहनने, बुर्का पहनने आदि को लेकर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके पीछे के कारणों में देश की सुरक्षा, किसी की अलग पहचान कायम न हो, जिससे समाज में वह अलग–थलग न पड़े, धार्मिक कट्टरपंथी समाज को आगे ले जाने में बाधक न बनें आदि शामिल हैं।

हिजाब को लेकर अलग–अलग देशों में अलग–अलग कानूनी प्रावधान हैं। कहीं शिक्षण संस्थानों में पाबंदी हैं तो कहीं नहीं भी है। दिलचस्प है कि मुस्लिम बहुल देशों में भी हिजाब को प्रतिबंधित किया गया है। कोसोवो में सन 2009 से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिजाब पहनना प्रतिबंधित है। सन 2010 से अज़ेरबैजान ने अपने देश के नागरिकों को हिजाब पहनने पर रोक लगाईं हुई है। ट्युनेशिया और तुर्की जैसे देशों ने हिजाब पहनने पर अपने–अपने ढंग से प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। सीरिया में 2010 से और मिस्र में 2015 से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिजाब पहनने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। वैसे भी मिस्र की पढ़ी–लिखी आधुनिक महिलाएं चेहरे ढकने के प्रचलन को अच्छा नहीं मानती। इंडोनेशिया में चेहरा ढकना और न ढकना महिलाओं की स्वेछा पर निर्भर है।

बोसनिया और हेर्ज़ेगोविना में 1960 के दशक में पुरुष और महिलाओं दोनों के चेहरे ढकने पर रोक लग गई थी। वर्तमान समय में मुस्लिन अधिवक्ता, न्यायाधीश और जुडिशल संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों को चेहरे ढकने पर मनाही है। स्विटजरलैंड ने मार्च, 2021 में सार्वजानिक स्थलों पर सिर ढकने पर रोक लगाईं है। वहीं, फ्रांस पहला यूरोपीय देश है, जिसने बुर्का पहनने पर पूरी तरह पाबंदी लगाईं है। वहां "कानून 2010–1192: सार्वजानिक स्थानों पर चेहरा छुपाने पर रोक लगाने वाला अधिनियम" का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत चेहरे को ढ़कने वाली कोई चीज जैसे मास्क, हेलमेट, निकाब, बालाक्लेवस आदि को पहनकर महिलाएं सार्वजानिक स्थानों पर नहीं जा सकती हैं। वहां बुर्का को भी प्रतिबंधित किया गया है,वह भी तब यदि उससे महिला का चेहरा ढंका हो। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता है तो उस पर 150 यूरो का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने चेहरे ढकने का दबाव डालता है तो उस पर भी 30 हजार यूरो का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। चीन में धार्मिक चरमपंथी के खिलाफ कार्रवाई के तहत मुस्लिम बहुल प्रान्त में सन 2017 से बुर्का, घूँघट और लंबी दाढ़ी पर प्रतिबंध लगाया है। जो लोग हेडस्कार्फ, घूँघट, बुर्का या अर्धचंद्राकार और तारे वाले कपड़े और लंबी दाढ़ी पहनते हैं, उन्हें सार्वजानिक परिवहन को उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। दुनिया के कई देशों ने सार्वजानिक स्थानों पर बुर्का, हिजाब, बालाक्लेव्स पहनने पर रोक लगाई है।ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, बुल्गारिया, नीदरलैंड, चीन, श्रीलंका, स्विटजरलैंड जैसे देशों ने चेहरे को ढकने पर रोक लगाई है। सन 2011 में फ्रांस के नक्शेकदम पर चलते हुए बेल्जियम ने भी सार्वजनिक रूप से बुर्का या नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढंकने वाले या चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढकने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। कानून का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या सात दिन तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दिलचस्प है कि बेल्जियम में करीब दस लाख मुसलमान हैं और उनमें से महज सौ महिलाएं बुर्का या नकाब पहनते हैं।

अगस्त 2018 में डेनमार्क में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया। चेहरे ढकने का दोषी पाए जाने पर 135 यूरो जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका ने सार्वजानिक स्थानों पर चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए वहां की सरकार ने कानूनी प्रावधान पारित किए हुए हैं। सन 2019 में आत्मघाती बम विस्फोट की घटना होने के बाद बुर्का पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। जर्मनी संसद ने 2017 में देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों, सिविल सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों के चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। सन 2017 में ऑस्ट्रिया संसद द्वारा चेहरे ढकने वाले कपड़ों को प्रतिबंधित किया गया।

बुल्गेरिया में 2016 में स्थानीय संसद ने सार्वजनिक रूप से चेहरा ढंकने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका उल्लंघन करने वालों पर 750 यूरो तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। हालाँकि महिला खिलाड़ियों, कामकाजी महिलाओं और पूजा करने वाली महिलाओं को छूट दिया गया है। नीदरलैंड ने जनवरी 2012 में चेहरे को ढंकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बुर्का, घूंघट, पूरे चेहरे वाले हेलमेट और बालाक्लाव को लेकर किया गया था। अगस्त 2019 को स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन, अस्पतालों और सरकारी भवनों में बुर्का पहने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नीदरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरा ढंकने पर कम से कम 150 यूरो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सन 2018 में नॉर्वे की संसद ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। स्वीडन ने दिसंबर, 2019 से शैक्षणिक संस्थानों पर चेहरे ढंकने पर रोक लगाईं। रिपब्लिक ऑफ कांगो पहला अफ्रीकी देश है, जिसने बुर्का और चेहरे को ढंकने वाले कपड़े को पहहने पर रोक लगाई और कहा गया कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है।

बहरहाल, धर्म की आड़ में इस्लाम और हिजाब की राजनीति करना और भारत जैसे देश पर अंतर्राष्ट्रीय दवाब बनाना गलत है। राजनीति तो भारतीय मुस्लिम लड़कियों को शैक्षिक दृष्टि से सजग और सुयोग्य बनाने की होनी चाहिए, जिससे वे समाज के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हों।

(लेखक शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं)

ISSN No. 2581-3528

हिजाब विवाद - भारत का तालिबानीकरण करने की गहरी साजिश

मृत्युंजय दीक्षित

कर्नाटक में उडुप्पी के एक छोटे से स्कूल से प्रारम्भ हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़ा और विकराल रूप ले चुका है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करके विवाद को और गहरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब विश्व के कई देशों ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब भारत में इस्लामिक कटटरपंथियों द्वारा हिजाब आंदोलन खड़ा कर देना एक राजनैतिक साजिश लग रही है जो प्रथम दृष्टया विपक्षी दलों का काम लग रहा है किन्तु इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अब कर्नाटक के स्कूल की छह लड़कियों के पीछे के कट्टरपंथियों ने कमान संभल ली है। कर्नाटक से लेकर हैदराबाद और जयपुर तक तथा दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद तक और उप्र के अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय तक सभी जगह हिजाब समर्थक गोलबंद होकर सड़कों पर निकल आये हैं। यह प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। जिस तरह सेक्युलर दलों ने हिजाब विवाद को लपका तथा आग में घी डाल कर भड़काने का काम किया वो आश्चर्यचकित करने वाला है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के मालेगांव तक इनकी भूमिका "आग लगा दो, रोटी सेक लो" वाली दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एआईएएम, शरद पवार की एनसीपी ने तो मुस्लिम समाज की महिलाओं व कटटरपंथियों को भड़काकर हिजाब डे तक बना डाला है। एआईएएम नेता ओवैसी यहां तक बौखला गये हैं कि वह कह रहे हैं कि जब तक हिजाब नहीं तब तक किताब नहीं, वह यह भी कह रहे हैं कि एक दिन एक हिजाबी देशकी प्रधानमंत्री भी बनेगी। यह पूरा का पूरा घटनाक्रम एक बहुत बडी साजिश है जिसे तथाकथित सेकुलर राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष हिजाब विवाद की आड़ में मोदी सरकार, भाजपा व संघ के खिलाफ नये सिरे से नफरत फैला रहा और मुसलमानों का तुष्टिकरण करने के लिए खूब बयानबाजी कर रहा है।

हिजाब विवाद को राजनैतिक रंग देने और नफरत की आग को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किये गये हैं जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर क्रिकेट खेल रही हैं और कहीं फुटबाल और हॉकी खेल रहीं हैं। एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का वीडियो आया जो हिजाब पहनकर हास्पिटल जा रही है और मरीजों को देख रही है। बिना हेलमेट राइडिंग करती और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर भद्दे इशारे करती बुर्कानशीनों के वीडियो भी आ रहे हैं। हिजाब आंदोलन में बालीवुड भी कूद पड़ा है जो फिल्म अभिनेत्रियां फिल्मों में बिकनी पहनती हैं वह भी हिजाब का समर्थन कर रही है। एक सिने अभिनेत्री ने तो यह तक कह डाला कि जब एक सिख पगड़ी बांधकर स्कूल जा सकता है तो मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर क्यों नहीं जा सकती। यह कितनी घातक और विकृत सोच है।

राजनैतिक विश्लेषकों का मत है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं व युवतियां जो तीन तलाक कानून से बहुत खुश हैं तथा जिन गरीब मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, फ्री राशन मिला है आवास मिला है और सुरक्षा मिली है वे बीजेपी को वोट देने जा रही थीं अतः ऐसे में वातावारण को खराब कर उन महिलाओं को वोट देने से रोकने के लिए यह आंदोलन खड़ा किया गया है।

अगर कटटरपंथियों के दबाव में आकर उनकी यह मांग एक मान ली गयी तो उनकी डिमांड और बढ़ती जायेगी। विद्यालयों में बच्चों के बीच समानता बढ़ाने के लिए यूनिफार्म का प्रावधान किया गया है। कुछ तत्व इस बात को अनदेखा कर इस्लाम के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के बावजूद आज भी देशकी 66 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं। इसी मजहबी कट्टरता ने मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर को इतना नीचे रखा। बेटियों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता। दूसरा उन पर बुर्के को लाद दिया जाता था। बेटियों को सिर से पांव तक बेडियों की तरह जकड़ दिया गया। आज केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये हैं जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे थे लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदारों और उनके हमराह राजनैतिक दलों को यह बात पसंद नहीं आ रही है।

उडुप्पी जिले का एक हिजाब विवाद आज पत्थरबाजी व हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में नारा–ए–तकदीर व अल्लाह हू अकबर के नारे गूंज रहे हैं। बुर्कानशीं मुस्लिम लड़की कटटरपंथियों की पोस्टर गर्ल बन बन चुकी है। पाकिस्तान, तुर्की से उसे बधाई मिल रही है और तो और मलाला जैसे लोग उसके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। इस बवाल में देश में जिहाद, अलगाववाद व इस्लामिक कटटरता की फैक्टरी कहलायी जाने वाली संस्था एसडीपीआई, पीएफआई की संलिप्तता जगजाहिर हो गई है। हिजाब की आड़ में भारत में दंगे की आग को भड़काने की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। इस आग को भड़काने में पाक खुफिया एंजेसी आईएसआई व सिख फार जस्टिस जैसे संगठनों की भूमिका सामने आ रही है।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवप्रसाद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भडकाऊ ट्वीट किये। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने देश में गृहयुद्ध छिडने की बात कह दी। कांग्रेस सहित सभी दल एक बार फिर तुष्टिकरण के चलते नीचता पर उतर आये हैं। उप्र में एक सपा नेता ने हिजाब पर विवादित बयान दिया कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे, आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। स्पष्ट है कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल एसडीपीआई, पीएफआई तथा आईएसआई व सिख फार जस्टिस जैसे संगठनों का सहारा लेकर चुनाव में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि कांग्रेस देश को उपलब्धियां तो नहीं दे सकीं लेकिन उसने समस्याएं खूब दे दी है।

यह कटु सत्य है कि दुनिया के कई मुस्लिम और यूरोपियन देशों में हिजाब और बुर्के पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत देश भी केवल संविधान से ही चलेगा कट्टरपंथियों की सनक से नहीं। अगर इन अराजक तत्वों को यहीं पर नहीं रोका गया तो कल यह लोग स्कूलों में मस्जिद बनाने जैसी मांग करने लग जायेंगे।

(लेखक स्तम्भकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

इन्होंने गांधी जी की नहीं सुनी

नरेन्द्र भदौरिया

उन्हें चौधरी साहब कहलाना सबसे प्रिय था। वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के पाँचवे प्रधानमन्त्री रहे। जनता पार्टी को जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य के साथ मिलकर गढ़ने वाले सबसे कुशल और सूझबूझ वाले राजनेता वही थे। वह इतने सस्ते राजनीतिज्ञ नहीं थे जितना उनको अपमानित करने वाले नेताओं, उस काल के चन्द पत्रकारों ने प्रचारित किया। दिल्ली में प्रधानमन्त्री की शपथ लेने के बाद वह पहली बार जब लखनऊ पधारे तो मीराबाई अतिथि गृह में उनकी प्रेस के मित्रों से भेंट का कार्यक्रम रखा गया। उस समय तरुण भारत के सम्पादक होने से मेरा नाम भी सूची में था। अनेक दिग्गज पत्रकारों को चौधरी चरण सिंह उनके नाम से पुकारते थे। उनके मुखमण्डल पर प्रायः गाम्भीर्य की छाप रहती थी। उसी का प्रभाव था कि आलोचक उनके समक्ष सहजता से बोल नहीं पाते थे।

उस दिन चौधरी साहब को अनुमान था कि कुछ पत्रकार ढिठाई कर सकते हैं। जनता पार्टी को तोड़कर भारत का प्रधानमन्त्री बनने का आरोप सबसे सहज था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ी निश्छलता से चतुराई दिखायी। उन्होंने कहा लोग कुछ भी कहें एक भला तो होगा कि अब आप अपना मनचाहा हरित प्रदेश बना सकेंगे। इस एक पुण्य से जनता पार्टी का ढाँचा बिगड़ने का पाप तो धुल ही जाएगा। चौधरी साहब ने कुछ नहीं कहा। बस अपना बेंत चिकनी फर्श पर ऐसे घसीटा कि उनके मन का क्षोभ प्रकट हो ही गया। बहुत विनम्रता से उनके साथ आये एक वरिष्ठ सहायक ने स्थिति भाँप ली। उन्होंने विनयी स्वर में धीरे से कहा, यह प्रेस वार्ता का कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमन्त्री जी आप सभी मित्रों से मिलकर हाल जानने आये हैं। कुछ दिन बाद वार्ता होगी। संकेत था चिढ़ाने वाली टिप्पणियों से बचा जाय।

चौधरी साहब ने आधे घण्टे की भेंट में बस एक बात कही कि देश के किसानों, गरीबों, श्रमिक वर्ग के लोगों को लगने लगा था कि जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसको लक्ष्य से भटका दिया गया है। इस पीड़ा को अनुभव करके भी चुप रहना सम्भव नहीं था। प्रेस वार्ता की औपचारिक समाप्ति के बाद चौधरी साहब ने प्रेस के चन्द मित्रों से सहजता से अनौपचारिक चर्चा की। तब एक ऐसी बात भी कही जिसे तब या उसके बाद भी छापा नहीं गया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश मेरे जीवित रहते नहीं टूटने पाएगा। फिर उन्होंने भारत के विभाजन की एक भयानक त्रासदी का सन्दर्भ लिया।

चौधरी साहब ने कहा महात्मा गाँधी 07 नवम्बर 1946 से चार महीने तक नोआखाली और चटगाँव के दो हजार वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में भ्रमण करते हुए एकतरफा हिंसा आगजनी के मानव जनित प्रकोप को थामने का प्रयत्न करते रहे। अन्ततः उस क्षेत्र को बड़े दुख भरे शब्दों में श्मशान कहकर लौट आये थे। चौधरी साहब ने यह तो नहीं कहा कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपने जीवित रहते नोआखली बनने के लिए छोड़ दूँ। पर उस गम्भीर नेता की बात को पूरा किया जाय तो यही आशंका बार बार उभरती है। जहाँ द्वापर युग में हस्तिनापुर जैसा चक्रवर्ती साम्राज्य था वहाँ का जनसंख्या सन्तुलन भयावह रूप लेता जा रहा है। नोआखाली ही नहीं पूरे चटगाँव परिक्षेत्र में उस समय तक हिन्दू जनसंख्या 51 प्रतिशत तो मुसलिम 47 प्रतिशत हो चुके थे। शेष नगण्य ईसाई, बौद्ध और अंशतः अन्य मान्यताओं के समूह थे। चटगाँव विकसित और समृद्ध बन्दरगाह था। नोआखाली सहित पूरे क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का जाल था। भारत के ढीठ इतिहासकारों की यह बात मिथ्या है कि नोआखाली में 1946 में हुआ हिन्दुओं का नरसंहार धनी हिन्दू किसानों के विरुद्ध निर्धन मुसलमानों का आक्रोश भर था। इन्हीं इतिहासकारों ने तो केरल के मोपला मुसलिम समाज द्वारा हजारों हिन्दुओं के नरसंहार और पन्द्रहवीं शताब्दी में पुर्तगाल के वास्कोडिगामा का पीछा करते आये ईसाई मिशनरी झुण्डों द्वारा किये गये भयानक नरसंहार को भी अनुचित रंग देने का घृणित कर्म किया। केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपला मुसलमानों में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोष भड़का तो चतुर अंग्रेजों ने मोपलाओं के नेताओं को साधकर उन्हें हिन्दुओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया।

मोपला मुसलिम पूरी तैयारी करके 20 अगस्त 1920 को पूरे मालाबार में संगठित ढंग से धावा बोलकर हिन्दुओं का वीभत्स नर संहार करने लगे। अंग्रेज पुलिस को अपने दरबों में रहने के आदेश पर चुप बैठी रही। यह हिंसा पूरे एक माह सितम्बर 1921 तक निर्बाध चली थी। एक लाख से अधिक लोग या तो मारे गये या सब कुछ लुटेरों को सौंपने के बाद इस्लाम स्वीकारने को विवश किये गये। इतिहास के यह तीनों पाप (गोवा का गोमान्तक नर संहार पन्द्रहवीं शताब्दी, फिर 1921का मोपला काण्ड और 1946 का नोआखाली काण्ड) उस समय के ऐसे धूर्त खलनायकों के नेतृत्त्व में हुए थे जिन्हें बाद के काल में नायक बनाने के यत्न होते रहे हैं। निर्धनों के आक्रमण की त्रासदी कह कर केरल के मुसलिम समाज द्वारा एकतरफा हिंसा में वीभत्सता की सारी सीमाएं तोड़ी गयी थीं। उसी तरह नोआखाली में हिन्दुओं से कहा गया था कि या तो अपनी पहचान मिटाकर इस्लाम स्वीकार करें अन्यथा मृत्यु के दानव के समक्ष अन्तिम चीत्कार करके देख लें।

भयानक नरसंहार की त्रासदी के चलते दुख और गहरी संवेदना से भर कर अहिंसा और सत्य के पुजारी गाँधीजी नोआखाली गये थे। उनका समूह जिस ओर जाता हिंसा का ताण्डव थमने का नाम नहीं लेता। उनके सामने घर जलाये जाते। एक ही विकल्प कि इस्लाम स्वीकार करो। जगह जगह इस्लाम स्वीकार कराने के शिविर लगाये गये थे। विवाहित महिलाओं का निकाह होता तो लड़कियों को नीलामी में शौहर दिया जाता। बापू की लकुटी तो करुणा दया के देवता का आह्वान कर रही थी। पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सबसे अचरज की बात कि एकतरफा नर बलि को साम्प्रदायिक दंगा कहा

ISSN No. 2581-3528

गया। इतिहास के पन्ने आज भी यही अन्याय करते दिखेंगे। जिनकी गर्दनें रेती गयीं, जिन्हें गलियों में घसीट कर अथवा पीटते हुए सारा रक्त बहाया गया था। जिनके बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं के अंग उनके सामने काटते हुए पूछा जाता था कि बताओ अपना धर्म छोड़ोगे कि नहीं। उनके बलिदान का पटाक्षेप निर्दयता से करने के कर्म सदा निन्द्य रहेंगे। चौधरी साहब ने नोआखाली के नरसंहार का कोई विस्तृत वर्णन उस दिन नहीं किया । बस इतना संकेत भर किया था कि जिन लोगों ने उस महात्मा की बात नहीं मानी उनके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को नया नोआखाली बनाने का अवसर देना कितना भयावह हो सकता है। यह निश्चित करने वाले चौधरी साहब कौन होते कि उनके बाद की पीढ़ी के नेताओं की सोच कैसी होगी। चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह विदेश से पढ़कर लौटे थे। पिता के उत्तराधिकार में उन्हें उनका गाम्भीर्य और सोच नहीं मिल पायी थी। वह जब तक रहे सत्ता के आसन को तो ताकते ही रहे साथ में हरित प्रदेश बनाने की बातें करते रहे। अब उनके बेटे जयन्त और मुलायम के उत्तराधिकारी अखिलेश की युति को प्रोत्साहन देने वाले जब खेला करने के लिए ममता बनर्जी जैसी नेताओं द्वारा उसकाये जाते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भय की हूक उठनी स्वाभाविक है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश देवबन्दी और बरेलवी मुसलमानों का गढ़ हैं। यह दोनों अधिष्ठान मुस्लिम युवकों में कट्टरता को प्रचण्ड ज्वाला में बदलने के लिए सारे संसार में ख्यात हैं। जिन्हें 1947 से भारत की सरकारो के बड़े नायक ही नहीं कई विदेशी सरकारें और इस्लामी संस्थाएं सहेजती रही हैं। जनसंख्या के स्वरूप में बदलाव से राजनीतिक चरित्र और देश के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। भारतीय संस्कृति के किसी पक्ष से विदेश और भारत के कुछ समूहों से पोषित ईसाई मिशनरियों अथवा इस्लामी संगठनों के लोग अपनी सम्मति नहीं रखते। इस देश की माटी और संसाधनों को उपभोग की सामग्री भर मानते हैं। इनकी चाहत भारत की सनातन संस्कृति का सर्वनाश करना है।

भारत में कई राजनीति दल ऐसा व्यवहार करते हैं मानों उनकी निष्ठा के तार सीमा पार के किसी देश से जुड़े हैं। इस परिवेश में यह प्रश्न गौण हो चुका है कि भारत की सनातन संस्कृति कैसे बचेगी। भारतीय उपमहाद्वीप के तीन देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलिम जनसंख्या 52 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनका डीएनए और भारत के हिन्दुओं का डीएनए एक है। इसी रक्त सम्बन्ध को पूजा की विविधता के रहते आत्मीयता में बदलने की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत कर रहे हैं। यह बात कटुता के जीवाणु फैला रहे लोग अनसुनी करने पर तुले हैं। भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति का निरादर करने वाले एकजुटता दिखाकर भी सशक्त नहीं हो पाएंगे। यह उद्घोष अब काल के ध्वज पर अंकित होना चाहिए। सनातन हिन्दू संस्कृति पृथ्वी की मानव सभ्यता की बड़ी निधि है। अनेक पन्थों संस्कृतियों को पाल कर पनपने के लिए अपना आंगन देने वाले हिन्दुओं की सहिष्णुता को सूई चुभोकर तीव्रता मापने का हठ निरन्तर हो रहा है। यब सब सहजता से नहीं सशक्त प्रतिरोध से ही बन्द होगा। जिनकी पहचान कोई व्यक्ति या समूह हठात छीने वह काल और नियति के विरुद्ध अपराध करता आ रहा है। अन्याय सहन करने वाले जब तक एकजुटता से बलिष्ठ होकर नहीं खड़े होंगे ऐसे प्रसंगों पर रुदन करते रहने से कुछ नहीं होगा। **(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)**

ISSN No. 2581-3528

स्मृति शेष... स्वर कोकिला लता मंगेशकर

मोनिका चौहान

स्वर कोकिला की पदवी धारण करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर भारत के लिए एक अनमोल रत्न थी। साक्षात सरस्वती मां उनके कंठ पर विराजमान थी। सुर समझ का विषय है और स्वर ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। तो इस मायने में लता भारत और समूचे विश्व को ईश्वर की दी हुई अनूठी भेंट थीं जिनके कंठ से निकले हर बोल ने हर किसी को रससिक्त किया। हमारी और हमसे पहली पीढ़ी ने वैसा स्वर न सुना और न वैसे स्वर साधक देखा। लता जी का कार्यकाल अनेकों उपलब्धियों से भरा पड़ा है। भारतीय सिनेमा की पार्श्वगायिका के रूप में पूरा विश्व लता जी के नाम से परिचित है।

भारत रत्न से नवाजे जाने वाली लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्यप्रदेश के इंदौर में हुआ। लता 5 बहन–भाई है। उनमे लता जी सबसे बड़ी बहन थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल मराठी संगीतकार व शास्त्रीय गायक थे। साथ ही वह एक थियेटर आर्टिस्ट भी थे। घर में संगीत का माहौल होने के कारण लता जी बचपन से ही संगीत की तरफ आकर्षित थी। 5 वर्ष की आयु से ही लता जी को उनके पिता ने संगीत सिखाना शुरू कर दिया। उनके पिता के नाटकों में भी लता अभिनय करने लगी।

वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई तब लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। पिता की असामयिक मृत्यु के पश्चात लता पर परिवार की जिम्मेदारी आ गयी। प्राकृतिक कला के माध्यम से जीवनयापन का रोजगार प्रारंभ करने वाली एक 13 वर्षीय बालिका ने जब चलचित्र के रुपहले संसार में पदार्पण किया लता जी को अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें कुछ मराठी व हिंदी फिल्मों में अभिनय का कार्य करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म पाहिली थी जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। गायकी उनकी पहली पसंद थी परंतु पहले से स्थापित गायिकाओं से प्रतियोगिता के अतिरिक्त आवाज को संग्रह करने वाले उपकरण भी बहुत अच्छे नहीं थे। तब भी दुनिया इतनी आसान नही थी परंतु उसका कंठ राह के कंटकों पर भारी पड़ा। लता जी ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म 'कीर्ति हसाल' (कितना हंसोगे) के लिए गाया। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और वहां उनका केरियर आकार लेने लगा। मुंबई में उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 1948 में 'मजबूर' फिल्म का एक गीत 'दिल मेरा तोड़ थोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा' बहुत हिट हुआ। लता जी जब पार्श्वगायन के रूप में अपनी पहचान बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बहुत प्रभाव था। लता जी भी उनसे प्रभावित थी और उनकी जैसी शैली में गाने के लिए उन्होंने हिंदी व उर्दू के उच्चारण सीखे। लता जी को प्रसिद्धि वर्ष 1949 में आई फिल्म 'महल' के गाने 'आयेगा आने वाला' से मिली। यह गाना उस समय का सुपर डुपर हिट गाना रहा। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आने वाला आ चुका है।

1960–70 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए स्वर्णिम दौर माना जाता है। इस समय एक से बढ़कर एक संगीतकार, गीतकार व फिल्मकार थे। सब ने मिलकर एक बेहतरीन संगीत रचा और लता जी के स्वरों में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिला। लता जी हर गाने को विशेष बना देती थी चाहे रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो या देश भक्ति गीत हो। 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम में पंडित प्रदीप का लिखा 'ए मेरे वतन के लोगों.....' लता जी ने गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की आंखों में आंसू निकल पड़े। कुछ फिल्में तो सिर्फ लता जी के गाए हुए गानों के कारण ही प्रसिद्ध हुई। अपने सहज, सरल स्वभाव व मधुर आवाज के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों व संगीतकारों की पहली पसंद बनी। हर गाने में की गई मेहनत उनकी गायकी में झलकती थी।

लता जी ने हजारों गानों में अपनी आवाज दी। उन्होंने बीस से अधिक भाषाओं में तीस हजार से अधिक गीतों को अपनी सुमधुर आवाज दी। सुनने वाले कान कमजोर भी हों तो भी उसका स्वर मिश्री का अनुभव देता था। उनके गाए गीतों की लंबी सूची है जिसे जितना बांचो उतनी ही कर्णप्रिय होती जाती है।

लता जी को ढेरों पुरस्कार व सम्मान मिले भारत सरकार द्वारा उन्हें पदम भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पदम विभूषण, भारत रत्न आदि जैसे अनेको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लता जी को अनेकों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवॉर्ड्स, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड आदि से भी सम्मानित किया गया। गायकी में कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जिससे लता जी को सम्मानित नहीं किया गया हो।

लता जी ने अपना पूरा जीवन संगीत व परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शादी नही की। एक सर्वश्रेष्ठ आवाज अब हमारे बीच नहीं हैं उनके अतुलनीय गीतों से लता जी सभी भारतवासियों के दिल में हमेशा जीवित रहेगी।

(लेखिका शिक्षिका हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

भारतीय संस्कृति : दुनिया को जोड़ने का भारतीय तरीका

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

हमने पिछले कुछ दशकों से सभी के जीवन और जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव देखा है। स्वचालित मशीनों, वाहनों, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ प्रौद्योगिकी में प्रगति ने जीवन को एक नया आयाम दिया है। अत्यधिक शारीरिक श्रम, उच्च गति के बिना बाहरी दुनिया को बदलते देखना आकर्षक है। हर कोई संपत्ति निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में हमने शांति, आनंद और खुशी नामक कुछ खो दिया है ना? हम जो कुछ भी करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य खुद को खुश, हर्षित और शांतिपूर्ण बनाना है। सवाल यह है कि 'क्या हम खुश, हर्षित और शांतिपूर्ण हैं'?

दरअसल, विभिन्न शोध संगठनों के विभिन्न अध्ययन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यद्यपि हम बाहरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की शांति, खुशी सूचकांक और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ विपरीत परिणाम हो रहा है। हमें वास्तव में अधिक बैंक बैलेंस और बेहतर सुविधाओं के साथ जीवन में आराम देखकर खुश, संतुष्ट, आनंद से भरा और शांतिपूर्ण होना चाहिए था। हालांकि, यह हकीकत नहीं है, इसके क्या कारण हो सकते हैं?

अध्ययन से पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक वैश्विक संकट है जो विकसित देशों में भी प्रमुख है। वैश्विक महाशक्ति यूएसए का अपनी अधिकांश आबादी के लिए शानदार जीवन के देने के बाद भी मानसिक स्वास्थ्य पर खराब रिकॉर्ड है। यूरोपीय देश और भारत समेत कई एशियाई देश इससे पीड़ित हैं। विश्व स्तर पर न केवल अवसाद और चिंता बल्कि आत्महत्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। आर्थिक रूप से बढ़ने, संपत्ति बनाने और उच्च महत्वाकांक्षा रखने में कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि, हम जीवन में संतुलन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयाम भूल गए हैं जो भारतीय संस्कृति अतीत में थी और कई भारतीय अभी भी उसी का पालन करते हैं।

आइए देखें कि मुगल आक्रमण काल से पहले बेहतर पर्यावरणीय प्रथाओं के साथ महान विरासत, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ सामाजिक, आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया गया था।

इस घटना को समझने के लिए हमें कुछ सदियों पीछे जाने की जरूरत है। जब ब्रिटिश और कुछ यूरोपीय राष्ट्र व्यापार के लिए दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे और यहां तक कि अपने लाभ और शक्ति के लिए क्षेत्रों/देशों पर कब्जा कर लिया था। भारत भी उनमें से एक था। वे मानसिकता और विचार प्रक्रिया को बदलने में सफल रहे। शिक्षा प्रणाली में बदलाव के परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक व्यवहार और विकास के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया। हालांकि, विकास के यूरोपीय मॉडल में बड़ी कमियां और आउटपुट नीचे सूचीबद्ध हैं।

• लोगों को दूसरों की असफलताओं में सफलता नजर आने लगी। धनबल, बाहुबल में बदली सफलता की परिभाषा। अहंकार को संतुष्ट करना प्राथमिकता बन गई है।

• धन सृजन नैतिकता, समाज और पर्यावरण में स्थिरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

• प्राकृतिक संसाधनों को हल्के में लिया जाता है, उनका अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।

• शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य मे कमी आने के कारण समाज और दुनिया में बहुत परेशानिया पैदा हो गई है।

• लोभ का भाव उच्च शिखर पर पहुचा है, हम यह भूल गये है कि हम समाज और प्रकृति के ऋणी होने चाहिये।

• सत्ता, धन हथियाने के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा।

• भू–भाग हड़पना, नकली आख्यानों से विरासत को नष्ट करना, जाति और रंग पर भेदभाव।

• बहुत अधिक आराम ने स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया।

• बहुत अधिक आराम क्षेत्र के कारण लड़ने की भावना खो गई।

• शक्तिशाली बनने और आर्थिक रूप से असाधारण लाभ प्राप्त करने के गलत इरादे से उपयोग किए गए अनुसंधान और विकास।

• जीवन के शाश्वत सत्य की उपेक्षा करना।

• भ्रष्ट मानसिकता के कारण भ्रष्टाचार, हिंसा...

यदि हम भारत में मुगल आक्रमण से पहले पीछे मुड़कर देखें, तो भारत में विविध संस्कृति, सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली, और पर्यावरण के पोषण और संतुलन के लिए विभिन्न तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का गहन ज्ञान था।

लोग बिना किसी शर्त के खुश रहते थे, हर्षित और ज्यादातर शांतिपूर्ण। उनका कोई उल्टा मकसद या गलत इरादा नहीं था क्योंकि संस्कृति ने उन्हें 'विविधता में एकता' का सम्मान करना सिखाया था। प्रकृति के हर पहलू की पूजा और पोषण करना चाहे वह जैविक हो या अजैविक विरासत में मिला और उसे प्राथमिकता देते थे। आप ईश्वर की पूजा करते हैं या नास्तिक हो, आपका समान रूप से सम्मान किया जाता था। वे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे बल्कि उस युग को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी बहुत उन्नत थे। दवाओं, सर्जरी, मूर्तिकला, धातु संरचनाओं, जल संरक्षण, जहाजों का निर्माण, नगर नियोजन, प्रशासन, अर्थशास्त्र, योग और ध्यान तकनीक, उच्चतम रचनात्मकता और कौशल के साथ किलों और मंदिरों के निर्माण हमे दिखाता है कि वे कितने ज्ञानी और कौशल्यवान थे।

वैदिक साहित्य और भगवद गीता हमें मानवीय मूल्यों को विकसित करने, जीवन के सभी आयामों में भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने, पर्यावरण का पोषण करने वाले ज्ञान के मार्ग पर बढाने का विश्वास दिलाती है। यह संस्कृति सभी धर्मों और संप्रदायों का समान रूप से सम्मान करता है। आपको किसी भी धर्म या संस्कृति के खिलाफ एक भी लाइन नहीं मिलेगी बल्कि यह पारस्परिक रूप से बढ़ने के लिए अपनेपन के साथ जुड़ाव में विश्वास करता है। इसलिए, आपको एक भी घटना नहीं मिलेगी जहां भारत ने दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र

ISSN No. 2581-3528

पर कब्जा कर लिया हो या लोगों को सनातन धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया हो।

जीवन का सबसे कठिन हिस्सा है मन को प्रबंधित करना, अहंकार को समझना, बुद्धि को तेज करना, याददाश्त विकसित करना और आत्मा को समझना। गीता और वेद हमें सही समाधानों के साथ हर चीज की गहरी समझ देते हैं, जिसका अभ्यास आसानी से किया जा सकता है ताकि खुश, स्वस्थ रह सकें और जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने और समाज के लिए बेहतर कुछ करने के लिए आगे बढ़ सकें।

भगवद गीता जटिल परिस्थितियों और परियोजनाओं को आसानी से और खुशी से प्रबंधित करने के लिए समाधान प्रदान करती है। नेतृत्व गुणों का विकास करना, जीवन के सही या गलत तरीकों के बीच भेदभाव करना, धर्म और अधर्म आदि, भगवद गीता में शामिल महत्वपूर्ण पहलू हैं।

यूरोपीय संघ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि जब यूरोपीय मॉडल ने उनके लिए कोई बेहतर काम नहीं किया है तो अन्य देशों को अपने देश में इसे लागू करने के लिए कहने का क्या मतलब है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी संस्कृति का अनुसरण करने दें।

भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि विकास का हमारा मॉडल यूरोपीय मॉडल से कहीं बेहतर और सिद्ध है। भारत फिर से समृद्ध होगा यदि हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और विकास मॉडल का पालन करते हैं जो समभाव, नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिकता, पर्यावरण के पोषण और संतुलन पर राष्ट्र का निर्माण करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भी खुशी से और शांति से।

आइए हम अपनी जड़ों से फिर से जुड़ें और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाएं। **(लेखक, ब्लॉगर एवं शिक्षाविद हैं)**

पत्रिका के फरवरी अंक की समीक्षा

डॉ. प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
शम्भू दयाल पीजी कॉलेज, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक नगरी है और यहां विधानसभा चुनाव की गर्मजोशी चरम पर है चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है जिस को मूर्त रूप देने के लिए प्रत्याशी घोषणा पत्र और मुद्दे जरूरी है और सभी दल अपने–अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। निश्चित रूप से मुद्दे और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि बिना मुद्दे की राजनीति का कोई वजूद नहीं। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान शुरू है जनता जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। जनता प्रदेश की बागडोर किन हाथों में देना चाहती है..? उसके लिए सर्वोपरि क्या है? बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश कैसे बन गया? इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ तथ्यात्मक विश्लेषण इस अंक में समाहित है जिसमें पहला लेख प्रो. अनिल निगम जी का है। 'हिंदुत्व का सीधा संबंध राष्ट्रीय पुनर्निर्माण' विषय पर प्रो अनिल निगम जी स्पष्ट लिखते हैं कि मोदी जी और योगी जी का हिंदुत्व संकुचित नहीं बल्कि उसका स्वरूप व्यापक और विराट है जिसका सीधा संबंध राष्ट्र के विकास और पुनर्निर्माण से है। 'उत्तर प्रदेश में सुशासन हेतु चुनाव 2022' विषय पर आदरणीय अशोक कुमार सिन्हा जी लिखते हैं कि योगी जी की डबल इंजन सरकार ने प्रगति के आंकड़ों में वृद्धि की है तथा असंभव कार्य को संभव बनाया, बीजेपी ने जो कहा उसे पूरा किया और हो सकता है कि आगामी चुनाव राजनीति को नया आयाम दे। 'लोग दूरदर्शी क्यों नहीं' शीर्षक के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र भदोरिया जी लिखते हैं कि बहुत दलीय राजनीति ने अचानक ऐसा परिवर्तन दर्शाया है कि मानव दो दलीय राजनीति का समय बस आने वाला है। प्रोफेसर के पी तिवारी जी अपने लेख विकास का योगी प्रतिमान में लिखते हैं कि विकास का योगी प्रतिमान जिन मूल्य तत्वों पर टिका है वह है राष्ट्रवाद सुशासन एवं सुरक्षा विकास के रणनीतिक प्रयासों से यूपी की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाकर उसे अधिक शक्तिशाली बनाने में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई है।

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति भारत के लिए चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर प्रो. अखिलेश मिश्रा जी लिखते हैं कि इस क्रांति से वर्तमान उत्पादन की पद्धतियों के साथ वैश्विक आर्थिक केंद्र एवं वैश्विक आर्थिक संतुलन भी बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है प्रो. हरेंद्र जी ने जिस का विषय है 'समृद्ध विरासत की पावन भूमि उत्तर प्रदेश'। आपदा काल में यूपी सरकार की कुशल प्रबंधन की समीक्षा की है श्रीमती अनुपमा अग्रवाल जी लिखती है कि आपदा में योगी सरकार के कार्य अन्य देशों व राज्यों के लिए किसी सीख से कम नहीं। 'यूपी के रण में कानून व्यवस्था पर जनता का रिपोर्ट कार्ड' पर प्रकाश डाला है श्रीमती अनिता चौधरी जी ने जिस के मुख्य बिंदु हैं अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, माफिया गिरी पर योगी का बुलडोजर, सिर्फ कार्यवाही ही नहीं सजा भी जरूरी, महिलाओं के उत्थान के लिए 2017 के बाद हुए काम।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन को समर्पित योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान पर विस्तृत जानकारी दे रही है डॉ नीलम कुमारी जी। 'महिलाएं आदिकाल से ही सशक्त थी' यह वक्तव्य है आदरणीया विमला बाथम जी का जिनका साक्षात्कार किया है नेहा कक्कड़ जी ने। योगी सरकार में कृषि विकास व किसानों का सम्मान शीर्षक के अंतर्गत मृत्युंजय दीक्षित जी ने प्रदेश में कृषि विकास हेतु उठाए गए कदम एवं किसानों के हित व सम्मान के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम की सराहना की है। 'लो फिर बसंत आया मन में उमंग छाया' विषय पर श्रीमती नीलम भागी जी का लेख है। सुदृढ़ भविष्य की सीजन के पथ में दृश्य और अदृश्य चुनौतियां एवं असहिष्णु और वैश्विक बौद्धिक सक्रियतावाद और भारतीय सांस्कृतिक पहचान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं डॉ. अक्षय कुमार जी ने। आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला है मोनिका चौहान जी ने। क्या अब मथुरा की बारी विषय पर रंजना मिश्रा जी लिखती है कि योगी सरकार के शासन में धर्म और आस्था को पूरा सम्मान मिला वे अपने कर्म योग द्वारा प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। 'स्वास्थ्य सुविधाओं का सुशासन' शीर्षक के अंतर्गत डॉ विनीत उत्पल जी लिखते हैं कि दूरदर्शी नेतृत्व होने से किसी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे कम समय में बेहतर हो सकती हैं यह उत्तर प्रदेश को देखकर समझा जा सकता है।

मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो मन और आत्मा प्रसन्न हो और वह सही पथ पर अग्रसर हो इन्हीं प्रकल्प को अपने लेख 'दिनचर्या' के माध्यम से बताया है डॉ. सुनेत्री जी ने। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले और बाद का तथ्यपरक तुलनात्मक विश्लेषण किया है डॉ निर्भय प्रताप जी ने। अंत में जनवरी अंक की समीक्षा मेरे द्वारा की गई है।

अखंड भारत की समृद्धशाली विरासत

तक्षशिला विश्वविद्यालय

प्रोफेसर डॉ. हरेन्द्र सिंह

प्राचीन भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं उच्च कोटि के विद्वानों के शिक्षण स्थल के रूप मे विश्वविख्यात एवं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था, इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व (लगभग 2700 वर्ष पूर्व) हुई थी। 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकन्दर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केन्द्र भी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रभु श्रीराम के छोटे भाई भरत के पुत्र 'तक्ष' को बताया जाता है। कहा जाता है कि जिस नगर तक्षशिला में यह विश्वविद्यालय था उसे भी 'तक्ष' ने ही स्थापित किया था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के लगभग 10,500 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे।

हिमालय की सुरम्यवादियों में सिन्धु एंव झेलम नदियों के दोआब में प्राचीन गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। ऐतिहासिक रूप से यह तीन महान मार्गों के संगम पर स्थित था– उत्तरापथ, उत्तरपश्चिमी मार्ग और सिन्धु नदी मार्ग। उत्तरापथ (वर्तमान ग्रैण्ड ट्रंक रोड) जहाँ गंधार को मगध से जोड़ता था, वहीं उत्तरपश्चिमी मार्ग कापिश और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था, तथा सिन्धु नदी मार्ग श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिन्द महासागर तक जाता था। 'तेलपत्त' और 'सुसीमजातक' में तक्षशिला को काशी से 2,000 कोस दूर बताया गया है। भारत विभाजन के पश्चात तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के रावलपिण्डी जिले की एक तहसील है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किमी उत्तर–पूर्व में स्थित है तथा ग्रैण्ड ट्रंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है।

वैसे तो गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम की विजयों के क्रम में इस बात के उल्लेख मिलते है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना केकयराज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वो के देश (गांधार) को जीता और अपने दो पुत्रों को वहाँ का शासक नियुक्त किया। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित था (सिंधोरुभयतः पार्श्वे देशः परमशोभनः, वाल्मिकि रामायण, सप्तम, 100–11) और उसके दोनों ओर भरत के तक्ष और पुष्कल नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्करावती नामक अपनी–अपनी राजधानियां बसाई। (रघुवंश

पंद्रहवां, 88–9य वाल्मीकि रामायण, सप्तम, 101.10–11य वायुपुराण, 88.190, महाभारत, प्रथम 3.22)।

तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर थी। महाभारत में राजा जनमेजय के नाग सर्प के विनाश के लिए आयोजित यज्ञ से जुड़ी एक कथा में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त, रामायण में भी कहा गया है कि तक्षशिला की स्थापना राम के छोटे भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। तक्ष ही इस महान भूमि के पहले शासक थे। बाद में यहां ईरानी, मौर्य, इंडो ग्रीक, शक, पहलवी और कुषाण राजाओं का शासन रहा। खंडहरों की जांच के दौरान जनरल कनिंघम को 1863 ई. में तक्षशिला के पुरावशेषों का पता चला। फिर 1912 से 1929 तक सर जॉन मार्शल ने यहां की विस्तृत खुदाई की। तब यहां मिले सबूतों से तक्षशिला के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य की झलक मिली।

श्रीलंकाई साहित्य के अनुसार यह प्रदेश 500 ई. पूर्व से ही ज्ञान विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। तीसरी सदी में यह बौद्ध धर्म की गतिविधियों का केंद्र बन गया। अशोक तथा कनिष्क के समय यहाँ के विहारों को राजकीय संरक्षण दिए जाने के बाद यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए अध्ययन के केंद्र रूप में विकसित हुआ। बुद्धिष्ट क्रॉनिकल के अनुसार यहाँ ज्ञान की खोज में चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ने यात्रा की थी। इस विश्वविद्यालय को गांधार नरेश आम्भिक का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इससे पूर्व ही यह स्थल पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्द हो चुका था। 400 ईसा पूर्व में यहाँ के एक और विद्वान कात्यायन ने वार्तिक की रचना की थी जो एक प्रकार से ऐसा शब्दकोश था, जो संस्कृत में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की व्याख्या करता था। कहा जाता है कि मगध के राजवैद्य जीवक को भी मगध नरेश बिम्बिसार के पुत्र अभय द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया था, जहाँ सात वर्षों तक रहकर उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया तथा जीवक, अपने युग के महान चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए, सुप्रसिद्ध वैद्य चरक भी यहीं के छात्र थे।

तक्षशिला बुद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केन्द्र था। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 6 वीं शताब्दी में बताई जाती है। और साक्ष्य बताते हैं कि 5 वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बना रहा था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेद चिकित्सक चरक ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ लगभग 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला में सामान्यतः एक विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में प्रवेश लेता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा का एक महान केंद्र होने के साथ–साथ राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का भी विश्वस्तरीय केंद्र था तथा इसमें विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। वहां के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधिशास्त्र के इसमें विशेष विद्यालय थे। कौशलराज प्रसेनजित, मल्ल सरदार बंधुल, लिच्छवि महालि, शल्यक जीवक और अंगुलिमाल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे।

तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहकर अध्ययन करते थे। मौर्यवंशीय शासक चन्द्रगुप्त ने भी मगध के सिंहासन पर बैठने से पूर्व चाणक्य के साथ रहकर यहाँ अध्ययन किया था। 16वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। यहां धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी परन्तु शिक्षार्थियों के माता–पिता से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आचार्यों को आर्थिक सहायता पहुचाने के लिए कुछ सहयोग राशि अवश्य दें, जो लोग शुल्क नहीं दे सकते थे, वे एक खास अवधि तक विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में स्नातकों को पढ़ाकर अपने शुल्क की पूर्ति करते थे। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री आचार्य चाणक्य भी सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी शिक्षा पूरी कर वहां के स्नातकों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे।

आचार्य चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्नातक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य हुआ, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्रायरू उच्चस्तरीय विद्याएँ ही पढ़ाई जाती थीं और दूर–दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोरावस्था के होते थे जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्ष, सभागृह और पुस्तकालय थे। इसका कोई एक केन्द्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भू भाग में फैला हुआ था। महत्वपूर्ण पाठयक्रमों में यहां वेद–वेदान्त, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्धविद्या, शस्त्र–संचालन, ज्योतिष, खगोल, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व–विद्या, मन्त्र–विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्पविद्या, तंत्रशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मनोविज्ञान, योगविद्या, कृषि, भूविज्ञान आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। विश्वविद्यालय में छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा भी लेने आते थे., जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहां तक कि राज धर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग–अलग कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के पाठयक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तिविद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्पविद्या, तन्त्रशास्त्र, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का मुख्य स्थान था। जातकों में उल्लिखित (फॉसबॉल संस्करण, जिल्द प्रथम, पृष्ठ 256) वहाँ पढाए जानेवाले तीन वेदों और 18 विद्याओं में उपयुक्त अवश्य होंगें। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शस्त्रों का प्राधान्य होना था।

तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठयक्रम था। आज कल की तरह पाठयक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाणपत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं–कहीं कुछ पाठयक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठयक्रम सात वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को छः माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी–बूटी पता लगाता तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में परीक्षा की एक

विशिष्ट प्रणाली लागु थी। शिक्षा समाप्ति के बाद छात्रों को विद्वतमंडली के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था, जहाँ उनकी व्यवहारिक एवं मौखिक परीक्षा ली जाती थी, तत्पश्चात उन्हें स्नातक की उपाधि दी जाती थी। लेकिन यहीं उनकी अंतिम परीक्षा नहीं थी, बल्कि अंतिम निर्णय छात्र को शिक्षा देने वाले आचार्य का होता था। उत्तीर्णता के लिए उनकी सहमति आवश्यक थी। यहां से उत्तीर्ण स्नातक इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पाटलिपुत्र और वाराणसी में आचार्य के रूप में कार्य करते थे। आचार्यों एवं विद्वानों की परीक्षा के लिए एक विद्वत परिषद् कार्यरत थी, जो समय–समय पर संगोष्ठियों, कार्यशालयों और व्याख्यानमालायों का आयोजन कराती थी। जिसमे देश–विदेश के विद्वत जन भाग लिया करते थे। तिलमुष्टि जातक (फॉसवॉल और कॉवेल के संस्करणों की संख्या 252) से जाना जाता है कि वहां का अनुशासन अत्यन्त कठोर था और राजाओं के लड़के भी यदि बार–बार दोष करते तो पीटे जा सकते थे। वाराणसी के अनेक राजाओं (ब्रह्मदत्तों) के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमारों और उत्तराधिकारियों को वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजने की बात जातकों से ज्ञात होती है (फॉसबॉल की संख्या 252)।

अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहां बारह वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेखों से पता चलता है कि यहां के स्नातक आंतरिक मस्तिष्क तथा अंतडियों अर्थात आंत तक का आपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी–बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्रायरू सौ से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। प्राचीन साहित्य अध्ययन करने से पता चलता है कि है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढने वाले छात्र उच्च कोटि के विद्वान बनते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी, जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे।

छटी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला की ख्याति अप्रतिम थी। कुरु और कोसल राज्य हर वर्ष यहां निश्चित सख्या में छात्रों को भेजते थे। उस समय जबकि मार्ग अत्यन्त दुर्गम थे, संचार का कोई साधन नहीं था, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों का बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जयिनी, कौशल, तथा अन्य स्थानों से अध्ययन हेतु सुदूर तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुँचना उसके महत्व को दर्शाता है। कौशल नरेश प्र्सेनजीत तथा बिम्बसार के राजवैद्य जीवक जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, अर्थशास्त्र के रचियता कौटिल्य, सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनी सभी तक्षशिला के विद्यार्थी रहे थे।

तक्षशिला लंबे समय तक उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में सुविख्यात था, किन्तु प्रथम शताब्दी ई. से इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती तथापि संभव है कि कुषाणकाल (250ई.) तक यह अच्छी अवस्था में रहा होगा। चतुर्थ शताब्दी ई. पू. से ही इस मार्ग से भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई। अंततः छठवीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया। तक्षशिला में कुषाण के उत्तराधिकारी 'यू–ची' बर्बर थे। अतः शिक्षा केंद्र के रूप में इसका पतन हुआ होगा। 5वी शताब्दी के प्रारम्भ में भारत आए चीनी यात्री फाहयान तथा सातवीं शताब्दी में भारत आये चीनी यात्री हेनसांग ने तक्षशिला के शैक्षणिक स्तर के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला के वैभव का युग सदैव के लिए समाप्त हो गया। कहा जाता है कि असभ्य हूणों की दुर्दान्त तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के इस प्रमुख केन्द्र को तबाह कर दिया।

(लेखक सरकार द्वारा 'शिक्षक श्री' विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं राष्ट्रवादी चिन्तक हैं)

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर FOLLOW करें।

केशव संवाद

FACEBOOK

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों में मार्च माह में बोए जाने वाली फसले

डॉ. एस. के. त्यागी

फसल चक्र में जायद की फसलो की बुवाई के लिए मार्च माह को उपयुक्त माना गया है। फसलो की समयनुसार बुवाई एक तरफ जहा अच्छी पैदावार देती है साथ ही साथ फसलो का अच्छा जमाव, कीटनाशको के न्यूनतम उपयोग के लिए भी प्रभावी मानी जाती है परिणामस्वरूप किसानो को अच्छा व प्रभावी लाभ प्राप्त होता है। मार्च माह में बोए जाने वाली फसलो में मुख्यत मूंग दाल, उड़द दाल, बैगन, भिण्डी, अरबी, खीरा, ककड़ी, आदि सब्जियां शामिल है। किसान भाई सुविधानुसार किसी फसल का चयन कर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फसलों को चुन करके उच्च आय प्राप्त कर सकते है। भारत का वैश्विक स्तर पर सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है जोकि विश्व में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है सब्जियां किसानो को साल भर आय का एक आदर्श स्रोत मानी जाती है साथ ही साथ ये हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, अमीनो अम्ल व अनेक विटामिन्स उपलब्ध कराती है तथा शरीर को स्वस्थ रख रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है ।

	मूंग दाल	टमाटर	खीरा/ ककडी	लौकी
परिचय	भारत की प्राचीनतम, कम समय मे पकने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भाकाहारी भोजन का मुख्य स्त्रोत है	अपने पोशक गुणों और विविध उपयोगा के कारण टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल हैं	कदद् वर्गीय फसलों में खीरा ककडी का स्थान महत्वपूर्ण हैं	कदद् वर्गीय सब्जी फसलों में लौकी एक महत्वपूर्ण फसल हैं
बुवाई का उपमुक्त समय	मार्च का प्रयम पखवाडा	मार्च	मार्च	मार्च
उत्तम प्रजातिया	नरेन्द्र मूग-1 पंत मूंग-3 पूसा-105, पी. एम. डी. -139 टी-44, एम एल-26	सोलन-गोला, यशवन्त रोमा, रूपाली, नवीन, पंत बहार, हिम प्रगति, सोलन गरिमा	**खीराः** खीरा-75, 90 पाईनसेट, के. एच-1 **ककडीः** अर्का शीतल, लखनऊ अर्ली, नसदार	काशी गंगा, काशी बहार, पूसा मंजरी, पूसा समर
बीजदर	30-35 कि.ग्रा.- हैक्टेयर	400-500 ग्राम/हैक्टेयर	2-3 किलोग्राम	4-5 किलोग्राम /हैक्टेयर
बीज उपचार	5-10 ग्राम टाइकोडर्मा/कि. ग्रा	थायरम, डायथेम एम- 45 काबेन्डिोजिम आदि	ट्राईकोडर्मा, कैप्टान/थीरम	ट्राईकोडर्मा, कैप्टान/थीरम
खाद उर्वरक	150-200 क्विंटल सडी गोबर की खाद तथा 15-20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन 40 किग्रा. फास्फोरस/ हैक्टेयर	150-200 क्विंटल सडी गोबर की खाद तथा 150 किलोग्राम नाईट्रोजन, 80 किलोग्राम फासफोरस, 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर	100-150 क्विंटल सडी गोबर की खाद तथा 80 किलोग्राम नाईट्रोजन, 60 किलोग्राम फासफोरस, 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर	150-200 क्विंटल सडी गोबर की खाद तथा नाईट्रोजन- 80 किग्रा फासफोरस- 60 कि.ग्रा पोटाश- 60 कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर
खरपतवार	बथुआ, पंचपत्रिया मोथा, जंगली पालक	मुख्यतः चौडी पत्ती वाले खरपतवार तथा मोथा भी शामिल है	मुख्यतः चौडी पत्ती वाले खरपतवार तथा मोथा आदि	मुख्यतः चौडी पत्ती वाले खरपतवार तथा मोथा आदि
निराई/ गुडाई	2-3	3-4	3-4	2-3
सिंचाई	3-4	8-10	12-15	10-12
कीट पंतगे	भवेत मक्खी, एफिड, थ्रीप्स, तना छेदक मक्खी बेलदार सूंडी, लाल बलदार सूंडी	फल छेदक, फल-मक्खी, कटुआ कीट	एफिड, फल-मक्खी, पत्ती खाने वाली सुंडी, लालडी	एफिड, फल-मक्खी, पत्ती खाने वाली सुंडी, लालडी
नियन्त्रण	एसिफेट, या नीम तेल ट्राईअजोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड आदि	क्लोरपाइरिफास-20 ईसी, मैलाथियान, एंडोसलफान आदि	थायोक्लोरापिड क्लोरोपाइरीफास आदि	कालोरोपाइरिफास थायोक्लोरापिड आदि
बिमारीयां	अंगमारी रोग पीला मोजेक विशाणु रोग झुर्रीदार पत्री रोग, सक्ष रोग सरकोस्पारा पत्र बंदुकी रोग	बकाई राट, आल्टरनेरिया झुलसा, मैलथियान, एंडोसलफान	आर्द्र विगलन, चूर्णी फफुदी, फल विगलन	आर्द्र विगलन, फल विगलन चुर्णी फफुदी
नियन्त्रण	कार्बेडाजिम या मेन्कोजेव जिनेब, डाईमेथेएट ट्राई एजोफॉस आदि	मेनकोजेब-एफ पी-0.55 प्रतिशत, हैगजाकोनेजोल आदि	कैराथेन मेनकोजेब आदि	मेनकोजेब सलफेक्स आदि
उपज	8-10 क्विंटल-हेक्टेयर	400-450 क्विंटल/ हैक्टेयर	150-200 क्विंटल/ हैक्टेयर	350-400 क्विंटल/ हैक्टेयर

भारतीय साम्यवादी और महान विचारक
शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि

मोहित कुमार

खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं,
मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं,
करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों,
तुम्हारी हर साँस में तिरंगे का नसीब बसता है।।
ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा,
ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा,
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गँवाए,
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आये।।

भारतीय साम्यवादी और महान विचारक व साहित्य साधक शहीद–ए–आजम भगत सिंह को अधिकांश एक क्रांतिकारी या व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिंसात्मक भाव रखने वाले उग्र वामपंथी के स्वरूप में याद करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हसरत मोहानी के ''इंकलाब जिन्दाबाद'' के नारे को साकार करने वाले भगत सिंह एक विचारक, कवि, लेखक और दूरदृष्टा भी थे। भगत सिंह के अंदर महज 12 साल की आयु में स्वतंत्र राष्ट्र की भावना का उदगम विकास हुआ था। दरसअल भगत सिंह की देशभक्ति और स्वतंत्र राष्ट्र के प्रति दृढ़ संकल्प की भावना विरासत में मिली थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह ने आजाद भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती कौर गृहणी थी।

भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ ठीक उसी दिन उनके पिता एवं दोनों चाचा ब्रिटिश शासित जेल से रिहा हुए थे। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम 'भागो वाला' रखा था। जिसका मतलब होता है 'अच्छे भाग्य वाला'। बाद में उन्हें 'भगत सिंह' कहा जाने लगा। बाल्यकाल से स्वतंत्र राष्ट्र का अध्ययन करते हुए भगत सिंह महज 23 वर्ष की अल्प आयु में राष्ट्र के प्रति अपना जीवन बलिदान कर गए। उन्होंने जितनी वैचारिक परिपक्वता और लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता हासिल की वह विलक्षण थी। इसलिए भारत माता का यह सपूत बहुत कम आयु में बलिदान देने के बावजूद भारतवासियों के

ISSN No. 2581-3528

दिलों में युगों–युगों के लिए जिन्दा रह गया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ इंकार कर दिया था।

13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह की रुचि शिक्षा से बिल्कुल हट गई थी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन'। इस संगठन का विशेष उत्तरदायित्व राष्ट्र सेवा, भारत माता के प्रति त्याग की भावना और कठिन से कठिन परिस्थिति में दृढ़ निश्चय और संकल्प की भावना रखने वाले नवयुवकों को तैयार करने की थी। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सांडर्स की हत्या कर दी थी। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड़ दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। इसी घटना के बाद निर्भीक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी गिरफ्तारी करवा दी। बाद में 'लाहौर षडयंत्र' के इस मुकदमें में भगत सिंह को और उनके दो अन्य साथियों, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च, 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह ही तय थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23–24 मार्च की मध्यरात्रि ही इन वीरों की जीवनलीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह एक संयोग ही था कि जब उन्हें फांसी दी गई और उन्होंने संसार से विदा ली, उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और दिन भी था 23 मार्च।

आजादी के सिवा इच्छाओं से मुक्त थे भगत सिंह : भगत सिंह के पिता और माता ने उन्हें 19 साल की उम्र में विवाह के बंधन में बांधने का प्रयास किया तो वह घर से भाग गए और अपने पीछे अपने माता–पिता के लिए एक पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा था, ''मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह उद्देश्य देश की आजादी है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं है। ना ही मेरी ऐसी कोई सांसारिक सुख की इच्छा है जो मुझे ललचा सके। इतनी कम उम्र में जिस युवा का इतना बड़ा संकल्प और इतना दृढ़ निश्चय होगा वह कोई साधारण युवा तो नहीं हो सकता। जिस उम्र के बच्चे खेलने कूदने में समय गंवाते हैं, भगत सिंह उस आयु में स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अंग्रेजों को टक्कर दे रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में कैद होने के बावजूद भगत सिंह ने कई पुस्तकों का अध्ययन किया। उनके पसन्दीदा लेखकों में जार्ज बर्नार्ड शॉबरटराण्ड रसेल, चार्ल्स डिकिन्स, रूसो, मार्क्स, लेनिन, ट्रॉटस्की, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, विलियम वड्र्सवर्थ, उमर खय्याम, मिर्जा गालिब और रामानन्द चटर्जी आदि थे। उनकी डायरी से पता चलता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिस भगत सिंह नाम के युवा को बन्दूकबाज आतंकवादी के रूप में निरुपित किया था वह समाजवाद, पूंजीवाद, अपराध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं न्यायशास्त्र के बारे में कितना अध्ययनशील और जागरूक था।

फांसी का तख्ता : शहीद–ए–आजम भगत सिंह से आखिरी समय कहा गया कि अपने इष्टदेव का ध्यान कर लीजिए, उस समय भगत सिंह ने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी ईश्वर को याद नहीं किया आखिरी समय याद करूंगा तो डरपोक और स्वार्थ की भावना में लिप्त हो जाऊंगा। मेरा संकल्प ईश्वरीय भक्ति करने का नहीं है, हमारा संकल्प देश की आजादी दिलाने का है। हमारे शरीर का एक–एक खून का कतरा भारत माता के लिए कुर्बान हो जाए, इस पर मुझे गर्व होगा। जेल की वो अंधेरी शाम जब भारत माता का सच्चा सपूत अपनी कुर्बानी देने जा रहा था। 23 मार्च 1931 की शाम 6 बजे भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। फांसी के तख्ते पर जाते समय भगत सिंह ने अंतिम संगीत गाया था, जिसके स्वर कुछ इस प्रकार है– "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजु–ए–कातिल में है" भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बड़ी तड़कती आवाज़ में इंक़लाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगाए, क्रांतिकारियों के मुंह से नारे की आवाज़ सुनकर कैदियों के द्वारा इंक़लाब जिंदाबाद हिंदुस्तान आजाद के नारे से जेल गूंज गई थी। जेल परिसर में सिर्फ इंक़लाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह से पूछा कि अंतिम समय आप क्या संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने मुस्करा कर मजिस्ट्रेट का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब 'रिवॉल्युशनरी लेनिन' लाए या नहीं ? जब मैंने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो।

मैंने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, "सिर्फ दो संदेश – साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और 'इन्कलाब जिंदाबाद!"

ब्रिटिश जेल अफसर ने तीनों क्रांतिकारियों से पूछा कि पहले फांसी किसको दें, जबाव सुनकर जेल अधिकारी आश्चर्य में पड़ गया। तीनों क्रांतिकारियों की फांसी की दिशा तय नहीं कर पाया, जिसके बाद तीनों जवानों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर से बुलाया गया था।

शहीद भगत सिंह को समर्पित कविता...
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
इसके वास्ते सब निछावर है...
मेरा तन, मेरा मन...
ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन
जाने मन जाने मन जाने मन...

(लेखक आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के छात्र हैं)

ISSN No. 2581-3528

आरक्षित नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी

अनुपमा अग्रवाल

गत दिनों एआइएमआइएम (ऑल इंडिया मजलिस– ए–इत्तेहादुल) के जिन्नावादी राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के विभाजनकारी भाषण की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें उन्हें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए बहुसंख्यक समुदाय को धमकी देते व भड़काऊ भाषण के द्वारा अपने समुदाय के लोगों को भड़काते देखा जा सकता है। परन्तु इस भड़काऊ भाषण पर ओवैसी के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई न किसी भी राजनीतिक दल के नेता व मीडिया ने इसका विरोध किया और न ही विदेशी मीडिया ने इस पर कोई आपत्ति जताई। जबकि हरिद्वार की 'धर्म संसद' में कुछ एक संतों द्वारा उठाये गए विषयों को मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा सन्तों के खिलाफ न केवल नामजद एफआईआर दर्ज की गई बल्कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और तो और राष्ट्र विरोधी विदेशी ताकतों के द्वारा इस मुद्दे को इतनी हवा दी गई कि अगले ही दिन पाक समेत विदेशी मीडिया ने सक्रियता दिखाते हुए त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। हद तो तब हो गई जब विदेशी मीडिया ने हिंदुत्व की तुलना हिटलर के यहूदीवाद से ही कर डाली।

हरिद्वार में हुए धर्म संसद में संतों ने अपने भाषण में हिन्दू समाज को स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने व किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री न बनने देने की बात कही थी।आखिर इसमें गलत ही क्या है? हमारे समस्त धर्म शास्त्रों व वेदों में, धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र उठाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है इसी निमित्त आसुरी व राक्षसी वृत्ति के संहार एवं धर्म की रक्षा हेतु हमारे समस्त आराध्य देवी देवता कोई न कोई शस्त्र धारण किये हुए हैं। जबकि जनसंख्या असन्तुलन को कम करने या उसे नियंत्रित करने की बात स्वयं प्रदेश सरकारें कर रही हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि न केवल देश पर बोझ बन रही है बल्कि धार्मिक असन्तुलन भी पैदा कर रही है जिससे भविष्य में सिन्ध, पंजाब (पाकिस्तान) और पूर्वी बंगाल (बांग्लादेश) की तरह जनसंख्या के आधार पर भारत राष्ट्र के खण्डित होने का कारण बन सकती है ? अतः ये असन्तुलन रोकना राष्ट्रहित में अति आवश्यक व महत्वपूर्ण है। रही बात मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने की,तो इसमें गलत ही क्या है ? क्योंकि भारत दुनिया का एकमेव हिन्दू राष्ट्र है और यहां आमजन से हिन्दू प्रधानमंत्री चुनने की अपील करना कोई गलत नहीं। भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का प्रधानमंत्री आमजन के द्वारा चुना जाता है और आमजन से, सुयोग्य, कर्मठ, स्वच्छ छवि व राष्ट्र भक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने की अपील करना अपराध नहीं। अतः धर्म संसद में,सन्तों द्वारा हिन्दू समाज को जागृत करते हुए अपने समुदाय का प्रधानमंत्री चुनने की बात कहना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। दूसरा, देश में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता यदि ऐसा होता तो स्व. डॉ अब्दुल कलाम आजाद, डॉ जाकिर हुसैन, फकरुद्दीन अली अहमद,हामिद अंसारी जैसे अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो फिर धर्म संसद में सन्तों की अपील पर एफआईआर क्यों? जबकि ओवैसी ने सीधे देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं ?क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय विशेष के लिए आरक्षित है ?

विवादित एवं भड़काऊ भाषण की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है, जो केवल अपने विवादित भाषण के कारण ही जाने जाते रहे हैं। देश में सीएए के विरोध में अल्पसंख्यकों द्वारा धरना स्थल पर प्रतिदिन दिए जाने वाले भड़काऊ भाषण हों या जेएनयू में खुलेआम छात्रों द्वारा भारत के टुकड़े करने वाले नारे हों या फिर अभी हाल ही में विदेशी धन से सबसे लंबा चलने वाले किसान आंदोलन में दिए गए भड़काऊ एवं विवादित भाषण,ने जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, वहीं भाषणों की गरिमा को खत्म करने का काम किया है। कभी सरकारी नीतियों, विकास कार्यों, सूचनाओं के आदान प्रदान अथवा जन प्रतिनिधियों का आमजन से सीधे संवाद का माध्यम कहे जाने वाले भाषण आज गाली गलौज व अमर्यादित शब्दों से परिपूर्ण हो गए हैं तथा विवादित एवं भड़काऊ भाषण राजनीति की पहली सीढ़ी व सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहने का माध्यम बन चुके हैं। जिसका पूरा फायदा विदेशी मीडिया उठाने को तैयार बैठा है वह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई छोटी से छोटी घटना को तूल देकर दुनिया में, भारत की छवि खराब करने की साजिश रच रहा है जिसके लिए उसे विदेशों से अच्छी खासी धन राशि प्राप्त होती है।

धर्म संसद को पाक के प्रमुख न्यूज चैनल 'जियो न्यूज' ने 'हेट स्पीच कॉन्क्लेव' करार दिया तो वहीं पाक न्यूज वेबसाइट 'डॉन' भारतीय मीडिया के हवाले से लिखता है कि हिन्दू महासभा की साध्वी अन्नपूर्णा ने भी हथियारों और नरसंहार के लिए लोगों को उकसाने का काम किया पाक न्यूज वेबसाइट 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस खबर को शीर्षक दिया' हिंदूवादी नेताओं ने भारत में मुसलमानों के नरसंहार का आवाहन किया वहीं पाक के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुंगेलमन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले हफ्ते भारत में तीन दिवसीय हेट स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को उकसाना भी शामिल था। ये बेहद भयावह है। दुखद सच्चाई यह है कि राज्यों सरकारों व नेताओं की चुप्पी आश्चर्यजनक नहीं है'? तुर्की की सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ड ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी आलोचना की और तो और बाइलाइन टाइम्स के पत्रकार सी जे वालमर्न ने एक ट्वीट में सरल, सौम्य, सहिष्णु व विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत महान हिंदुत्व की तुलना हिटलर के यहूदीवाद से ही कर डाली। उन्होंने

ISSN No. 2581-3528

लिखा कि 'यहूदीवाद और हिंदुत्व दोनों एक ही हैं'।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाला पाकिस्तान स्वयं अपने यहां आतंकी कैम्प संचालित कर भारत में अस्थिरता पैदा करता रहता है बावजूद इसके विदेशी मीडिया न् तो दुनिया को उसका स्याह चेहरा दिखाता है और न कोई प्रतिबंध लगाता है। भारत में, अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त इस विशेष समुदाय की जनसंख्या बहुसंख्यकों के लगभग नजदीक पहुंचती जा रही है और यही कारण है कि जिन जिन राज्यों में इनका वर्चस्व बढ़ गया है उन जगहों पर ये लोग न केवल बहुसंख्यकों पर हावी हो रहे हैं बल्कि अपने अनुसार राजनीति की दिशा निर्धारित करने का षडयंत्र रच रहे हैं केरल और बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण हैं। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि देश का हिन्दू समाज आज भी नहीं चेता तो भविष्य में उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब वो वक्त आ गया है जब हिन्दू समाज को सक्रियता दिखाते हुए राष्ट्रहित में एकजुट होकर राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ मुखर होना होगा।

(लेखिका, समाज सेविका एवं पत्र लेखिका हैं) ■

कब तक चलेगा यह धर्मांतरण

रंजना मिश्रा

हमारा देश कहने को तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के नाम पर किसी को भी दूसरे के धर्म पर आक्रमण करने, उसे नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। यहां सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे जाने की भावना केवल संविधान से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह हमारी सनातन संस्कृति का भी एक हिस्सा है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी दूसरे मजहब या उसके मानने वालों को नीचा दिखाने की या उन्हें कमतर आंकने की कोई बात नहीं लिखी। बल्कि यही बताया गया है कि अलग–अलग पूजा पद्धतियों और मान्यताओं के चलते अलग–अलग रास्तों से सभी को एक ही लक्ष्य तक पहुंचना है। 'सर्वधर्म समभाव' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना भारत की मिट्टी में मिली है। हिंदू प्राकृतिक तौर पर उदार होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी उदारता का फायदा दूसरे मजहब के लोग उठाते हैं? आए दिन देश के विभिन्न भागों से खबरें सुनने को मिलती हैं कि फलां–फलां जगह पर इतने लोगों का धर्मांतरण कराया गया। गरीब और दलित लोगों को लालच देकर, उन्हें बहला–फुसलाकर, हिंदू संस्कृति के खिलाफ भड़का कर और अपने मजहब को महान और उदार बताते हुए, ये धर्मांतरण कराया जाता है। यह सब एक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद है हिंदू संस्कृति को जड़ से खत्म करना। किसी देश पर कब्जा करने के दो रास्ते हैं, एक युद्ध करके और दूसरा उसकी संस्कृति को मिटाकर व अपनी संस्कृति थोपकर। यदि किसी देश के नागरिकों को अपने धर्म में यानी मजहब में परिवर्तित कर दिया जाए तो वहां स्वयं ही उस मजहब के मानने वालों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यही साजिश अब भारत में चल रही है और अभी से नहीं बल्कि पिछले कई शतकों से इन साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उन्हें दंड भी मिलता है, फिर भी ये साजिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रहीं। देश के अधिकतर प्रदेशों में धर्मांतरण विरोधी कानून न होने की वजह से भी ये संगठन अपनी गतिविधियों को सफल बनाने में अधिक कामयाब रहते हैं।

ऐसी ही खबरें पंजाब से आ रही हैं, जहां लालच देकर बड़े पैमाने पर दलितों और गरीबों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। लालच राशन का, लालच मुफ्त पैसों का, लालच बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का, और लालच मुफ्त इलाज का, ऐसे लालच के जरिए गरीबों और दलितों को ईसाई धर्म में शामिल कराया जा रहा है। वहां के कई इलाकों में पिछले कुछ सालों में ही तेजी से कई चर्च बन गए हैं। ये लोग बड़ी–बड़ी बीमारियों को प्रार्थना सभाएं करके उन्हें दूर करने का दावा करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। झूठ और फरेब के दम पर धर्मांतरण कराना एक कानूनी अपराध है फिर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? इसी तरह की साजिशें कुछ अन्य संप्रदाय के मानने वाले लोग भी चला रहे हैं। उनका भंडाफोड़ भी हुआ है और वे पकड़े भी गए हैं, लेकिन फिर भी ये आपराधिक लोग अपने गलत इरादों से बाज नहीं आ रहे। ये साजिशें सीधा–सीधा हिंदू संस्कृति पर आक्रमण हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। हमारे शासन और प्रशासन को इसके प्रति बहुत ही गंभीरता से कदम उठाने चाहिए अन्यथा हिंदू संस्कृति को मिटते देर नहीं लगेगी। साजिश के चलते महिलाओं और दिव्यांग बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराई जाती है, ताकि बाद में इस बात की भी कोई गुंजाइश न बचे कि वो अपने धर्म में वापस आ सकें।

आज विदेशी लोग भी हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित होकर इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और इसे सहर्ष अपना रहे हैं। लेकिन हमारे अपने देश में ही आज हमारी प्राचीन संस्कृति खतरे में है, जिसे बचाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन शायद इस ओर अधिक सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे, इसीलिए ऐसी घटनाएं विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंजाम दी जा रही हैं। आस्था और नाम बदलने के साथ ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और विचार भी बदल जाते हैं, उसका खानपान, पहचान, उपासना पद्धति, उसके त्यौहार और उसकी आस्था सभी कुछ बदल जाती है। कुछ कथित बुद्धिजीवी और उदारवादी यह तर्क देते हैं कि धर्म अथवा पंथ एक निजी मामला है और हर किसी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, इसलिए धर्मांतरण पर आपत्ति करना व्यर्थ की राजनीति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मूक और बधिर बच्चे भी उनकी इस परिभाषा के दायरे में आते हैं? कोई एक व्यक्ति यदि अपना धर्म अथवा पंथ बदलता है तो यह उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग एकसाथ धर्मांतरण करते हैं तो यह उनका निजी मामला नहीं रह

शेष पृष्ठ... 25 पर

ISSN No. 2581-3528

हामिद अंसारी और उनकी भारत विरोधी मानसिकता

डॉ. प्रताप निर्भय सिंह

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनैतिक व्यवस्था ने भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त एवं तेजी से विकसित होने वाले तंत्र के रूप में स्थापित किया है। यह हम सभी भारत वासियों के लिए गौरव का विषय है कि वर्तमान भारत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनैतिक पटल पर अपने आप को प्रभावशाली रूप से स्थापित कर रहा है।

दुख का विषय यह है कि हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विश्व में सशक्त होती भारत की भूमिका के प्रति सदैव संकुचित मानसिकता का परिचय देते आए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं 1 अप्रैल 1937 को जन्मे मोहम्मद हामिद अंसारी। अपने 45 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भारत के 13 वें उपराष्ट्रपति के रूप में लगातार दो बार यूपीए की सरकार के समय कार्य किया है। उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है जो भारत के सम्पूर्ण जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों में से एक है, परंतु इनकी छवि अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ परंतु इनका परिवार मूलतः गाजीपुर का रहने वाला था। इनके राजनैतिक कैरियर की शुरूआत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में हुई और इन्होने विभिन्न देशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 10 अक्टूबर 2005 को आउटलुक में इनके एक लेख में उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत के वोट को लेकर जो टिप्पणी की उसने भी इन्हें संदेहास्पद दर्शाया। हामिद अंसारी लगातार भारत विरोधी बयानों एवं भारत की सांस्कृतिक पहचान पर चोट करने के लिए पहचाने जाते हैं। दिल्ली में आयोजित सईद नकवी की किताब "बीइंग द अदर द मुस्लिम इन इंडिया" के विमोचन समारोह में इन्होंने भारत विभाजन के लिए पाकिस्तान को ही नहीं अपितु भारत को भी जिम्मेदार ठहरा दिया, इस समय पर यह टिप्पणी करने से भी नहीं चूके कि राजनैतिक कारणों से भारत के मुसलमानों को विभाजन का जिम्मेदार ठहराया गया।

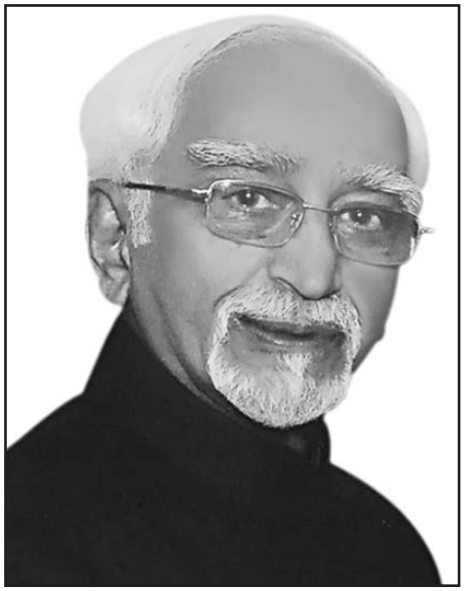

गणतंत्र दिवस पर "इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल" की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने हाल ही में विवादित टिप्पणी कर फिर से अपने देश विरोधी चरित्र को उजागर किया है। हाल ही के वर्षों में भारत में हो रहे परिवर्तन को लेकर जिस प्रकार से भारत का जनमानस उत्साहित है तथा संपूर्ण विश्व समुदाय में भारत की एक सशक्त छवि बनी है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने भारत में हो रहे परिवर्तन और जनमानस के व्यवहार को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को काल्पनिक व्यवस्था के रूप में लागू किए जाने की बात कही। धर्म के आधार पर भारत को एक असहिष्णु राष्ट्र बताने का दुस्साहस भी किया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राजनैतिक और कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की जरूरत पर भी विष वमन किया। यह ध्यातव्य है कि हामिद अंसारी बोलने के लिए जिस मंच का उपयोग कर रहे थे वह संस्था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की आरोपी रही है।

देश ने हामिद अंसारी जी को दो–दो बार उपराष्ट्पति बनाया, लेकिन वैश्विक मंच पर देश के खिलाफ बातें कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर 10 वर्ष तक के लिए बैठाया जिसकी मानसिकता भारत विरोधी रही है। अंसारी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भी विवादित रहे हैं। दिसंबर 2011 में संसद के शीतकालीन सत्र (राज्यसभा) के अंतिम दिन लोकपाल विधेयक पर चर्चा के पश्चात मतदान होना था उन्होंने सदन को अचानक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। यह तत्कालीन कांग्रेस एवं सहयोगी दलों की सरकार को सुरक्षा देने की मंशा से किया गया कार्य था।

यही नहीं जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और 2015 में पहले योग दिवस को 190 से अधिक देशों ने मनाया तब राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति के रूप में एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में भाग लेना उचित नहीं समझा, जबकि यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व था। इनकी भारत विरोधी गतिविधियां समय–समय पर इनके व्यवहार में परिलक्षित होती रही हैं। ऐसा ही एक अवसर 2015 के गणतंत्र दिवस पर आया जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं दी थी।

बेहतर होता कि हामिद अंसारी कांग्रेस सरकार के समय तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में भी बोलते। वह टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में ही नहीं है अपितु उनमें से स्वयं एक हैं। उन्हें जब भी अवसर मिलता

ISSN No. 2581-3528

है वे विचारों (भारत विरोधी) की आजादी को खतरे में बताने से नहीं चूकते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि वास्तव में तो आजादी उनकी खतरे में पड़ी है जिन्होंने संवैधानिक अथवा राजनैतिक पदों पर रहते हुए इस देश को धीरे–धीरे घुन की तरह खोखला किया। जब वे स्वयं संवैधानिक पद पर थे तब भी भारत में असुरक्षा और तुष्टीकरण की राजनीति का दौर था, क्या उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया था? उनके द्वारा समय–समय पर जिस प्रकार का व्यवहार दर्शाया गया है उससे भारत में मुसलमानों की छवि उदारवादी बनने की अपेक्षा कट्टरपंथी ही बनी है। वे भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर भी प्रश्न उठाते देखे गए हैं परंतु उन्होंने 10 वर्ष उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने के बावजूद मुस्लिम समाज के हित हेतु कितना प्रयास किया यह सर्वविदित है। असहिष्णुता को लेकर प्रश्न उठाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतिनिधियों को यह भी विचार करना चाहिए कि सदैव हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है। क्या मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा से भारत में असुरक्षा और असहिष्णुता को बढ़ावा नहीं मिलता है? देश के अनेक हिस्सों में आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी जिसने भारत के जनमानस में एक भय व्याप्त कर दिया था? हामिद अंसारी जैसे लोग कश्मीर में आतंकवाद, असम और पश्चिम बंगाल में धार्मिक हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। आतंकवादियों के समर्थन में मानवाधिकार का रोना रोते हैं, आतंकवादियों के एनकाउंटर को फर्जी मुठभेड़ बताकर अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे तथाकथित सेकुलर लोग वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं समझते हैं क्योंकि वह एक धर्म विशेष के प्रतिनिधि के रूप में ही अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। कश्मीर से विस्थापित कर दिए गए कश्मीरी पंडितों के विषय में जिनकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता है, वह आज के सशक्त भारत को कमजोर करना चाहते हैं। वंदे मातरम जैसा घोष जो भारत की आत्मा और भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्य को प्रगट करता है उसका विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं। भारत में जहां गोवंश हिंदू समुदाय के लिए पूजनीय है उसकी हत्या और उसकी मांस खाने की आजादी का समर्थन करने वालों का विरोध ये क्यों नहीं करते? लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विवादास्पद विषयों पर हामिद अंसारी ने कभी टिप्पणी नहीं की, आखिर क्यों वे वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व के प्रति संकुचित मानसिकता का परिचय देते हैं? यह लोग हमारे देश को घुन की तरह चट कर रहे हैं, इनके व्यवहार से समाज को ऐसे लोगों के प्रति सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है जो हमारे देश को सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं।

(लेखक भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली में जनरल फेलो हैं)

पृष्ठ - 23 का शेष

जाता, बल्कि ये एक सोची–समझी साजिश के अंतर्गत होता है। संविधान में दी गई धाराओं के परिप्रेक्ष्य से इन साजिशों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, बल्कि अब इन लोगों का खुलासा व भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण के लिए विदेशी चंदे का भी उपयोग किया जाता है, इसमें कई विदेशी साजिशें भी शामिल हैं, जो देश की जड़ों को कमजोर करना चाहती हैं और यहां अपनी नीति चलाना चाहती हैं। विदेशी धन का धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये लोग धर्मांतरण के लिए नए–नए हथकंडे प्रयोग करते हैं, जैसे मदर मैरी की गोद में ईसा मसीह की जगह गणेश जी या कृष्ण जी के चित्र का चित्रण करना ताकि आदिवासियों को लगे कि वे हिंदू धर्म के ही किसी संप्रदाय की सभा में जा रहे हैं। ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के आसपास धर्म प्रचार करते पाए जा सकते हैं।

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अपने पंथ के प्रचार का भी अधिकार शामिल है, लेकिन हर अधिकार की एक सीमा होती है। धोखे और छल से जहां इन अधिकारों का प्रयोग होने लगता है, समस्या वहीं उत्पन्न होती है। वैसे यह भी एक सोचने की बात है कि अन्य मजहब जब अपने प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता मांगते हैं तो उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? संविधान में दी गई यह स्वतंत्रता भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।

क्या यह देश की धर्मनिरपेक्षता साबित करने का एक तरीका है? संविधान में आजादी तो केवल इतनी दी जानी चाहिए थी कि सभी मजहब के लोग अपने–अपने मजहब का स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकें और कोई उसमें व्यवधान न डाल सके, किंतु प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता देना ही आज की विकट परिस्थितियों का मूल कारण है।

उत्तर प्रदेश में मार्च 2021 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जा चुका है। उससे पहले नवंबर 2020 में राज्य की बीजेपी सरकार इस बारे में एक अध्यादेश लेकर आई थी। इससे वहां इन घटनाओं पर काफी कुछ लगाम लगी है। कर्नाटक कैबिनेट भी अब धर्मांतरण विरोधी विधेयक की समीक्षा करने को तैयार है। राज्य की बीजेपी सरकार की योजना है कि राज्य विधान मंडल के मौजूदा सत्र में ही इस विधेयक को कानून का दर्जा दिला दिया जाए। इस नए कानून की आहट पाते ही ईसाई लोगों में डर बढ़ने लगा है और वे दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा उनके धर्म गुरुओं और प्रार्थना कक्षों पर हमले बढ़ने की दुहाई दे रहे हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड भी ऐसे राज्य हैं, जहां धर्मांतरण को लेकर कानून लागू हैं। इन राज्यों में जोर जबरदस्ती और लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराने पर कानून के तहत अलग–अलग सजा का प्रावधान है। तमिलनाडु में 2002 में धर्मांतरण कानून पास किया गया, लेकिन ईसाई मिशनरियों के भारी विरोध के कारण 2006 में इसे वापस ले लिया गया। राजस्थान में भी 2008 में इस तरह का विधेयक पारित किया गया था, लेकिन यह कानून नहीं बन सका, क्योंकि केंद्र ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए इसे वापस भेज दिया था।

दरअसल धर्म परिवर्तन करने वाले लोग अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों को मिलने वाला लाभ लेते हैं। इसके साथ ही इनको ईसाई मिशनरियों से भी लाभ मिलता है। इसी लालच में ये लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें आरक्षण और दूसरे लाभ न मिलें, इसको लेकर भी कानून बनाने की जरूरत है, तभी ये लोग धर्म परिवर्तन करने से रुकेंगे। अन्यथा ये अपने थोड़े से लालच के लिए देश की जड़ों को यूं ही कमजोर करते रहेंगे। संविधान में दी गई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, उसमें संशोधन होना बहुत जरूरी है। धर्म परिवर्तन विरोधी कड़े कानून देश के हर राज्य में लाए जाने चाहिए, साथ ही शासन और प्रशासन को भी इसके लिए चुस्त–दुरुस्त होना पड़ेगा तभी देश विरोधी इन गतिविधियों को रोका जा सकता है। **(लेखिका)**

ISSN No. 2581-3528

उत्सव मंथन

नीलम भागी

सुन गौरां तेरे मायके का हाल,

तेरी मां है कंगाल, तेरा बाप है कंगाल।

मैं भी बहुत लंबी लाइन जो महाशिवरात्रि को मंदिर में लगी थी, उसमें जाकर लग गई। शिवरात्रि जिसे हमारे यहां बसंत के आने से भी जोड़ा जाता है। लोटे में पानी या दूध, बेलपत्र चावल, बेर आदि फल, धतूरे के फूल लेकर व्रती पूजा की प्रतीक्षा में खड़े थे। धीरे धीरे लाइन चल रही थी और मेरा दिमाग में विचार भी चल रहे थे। बारह ज्योर्तिलिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र स्थल और केन्द्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। इनमें से जहां भी गई, वहां एक वाक्य सुनने को मिला कि शिवरात्रि को यहां बहुत भीड़ रहती है। जहां मैं नहीं जा पाई अब उनके लिए दुखी होने लगी क्योंकि यहां जाना भारत को जानना है। फिर मन को समझाया कि मैं कौन सा मरने वाली हूं!! मुझे दर्शनों को जाना है तभी तो मैं कोराना से जंग जीती हूं। अब मेरी मैमोरी रिवर्स होने लगी। दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा था और मैं भी स्वस्थ हो रही थी। दो साल से मेरी यात्रा बंद थी। अब व्हाटसअप पर यात्रा का मैसेज देखा, दिए नम्बर पर फोन किया वो बोले,''हम आपको जानते हैं। मैं चल दी। छ बसे जा रहीं थीं, यहां मैं किसी को नहीं जानती थी। पर कुछ ही समय में ये शिवजी के भक्त मेरे एक बड़े परिवार की तरह हो गए थे।

यात्रा में मेरा जाने का एक उसूल है ''एटीटयूड घर में रख कर जाओ, जरुरी सामान ले जाना भूल न जाओ।'' इस यात्रा में शिवजी का एक ही नाम था 'भोले' शिवखोड़ी पर्वतीय यात्रा का मनमोहक रास्ता समृद्ध प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। कलकल बहते झरने, हर तरह के पेड़ पौधे कोई भी हरे रंग का शेड नहीं बचा था जो इन वनस्पतियों में न हो। सुबह बारिश हो चुकी थी इसलिए पेड़ पौधे नहाए से लग रहे थे। जहां भगवान शंकर जी ने वास किया है वो स्थान क्यों नहीं इतना सुन्दर होगा!! जन्नत ऐसी ही होती होगी!! यहां भोले शिवालिक पर्वतश्रृंखला में परिवार सहित रहे। यही गुफा शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर के रयासी जिले में स्थित है। वैसे भी कश्मीर में शिवरात्रि का उत्सव तीन चार दिन पहले से और दो दिन बाद तक मनाया जाता है। मेरी आंखें बस से बाहर गढ़ी हुई थीं। जहां प्रकृति ने इतना सौन्दर्य बिखेर रखा हो!! इन सहयात्रियों को इससे कोई मतलब नहीं, बस भोले की भक्ति में लीन थे। कानों में श्रद्धालुओ के भजन सुनाई दे रहें थे मसलन

''सुन गौरां तेरे मायके का हाल, तेरी मां है कंगाल, तेरा बाप है कंगाल।'' भोले शंकर गौरां के मायके को लेकर ताने मारते ही जा रहें हैं। मायके की बुराई तो कोई महिला नहीं सुनती! आखिर में पार्वती ने ''काढ़ लिया घूंघट, फूला लिए गाल'' और रुठ गयीं, फिर भोले ने बड़ी मुश्किल से मनाया।

यहां भजनों को सुनते हुए शब्दों पर तो कोई बेवकूफ ही जायेगा। सरल भोला भाव, सुर ताल ऐसा कि मैं कभी भी नहीं नाचती पर उस समय मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी सबके साथ, चलती बस में उठ कर नाचूं। खड़ताल, मंजीरा, तो मैं ढोलक की थाप के साथ इस यात्रा में बजाना सीख गई थी। मैं जानतीं थी कि ये मेरे सहयात्री, न कवि हैं, न गीतकार हैं, न ही साहित्यिक हैं। जो भी सरल शब्दों में भक्तिभाव से गाते हैं वो इनके मन के उद्‌गार थे। जिसमें सबकी श्रद्धा से कोरस मिलने से बस के अन्दर अलग सा समां बंध जाता था। हां यदि श्रद्धा मापने का कोई यंत्र होता तो सबका माप एक ही आता। दक्षिण भारत आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइने लगी रहती हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर और जबलपुर तिलवाड़ा में जाना अपना सौभाग्य समझा जाता है। भगवान शिव की जटाओं से उनकी पुत्री माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई है। अमरकंटक में घूमते हुए माँ की कहीं भी जलधारा मिल जातीं थीं इसीलिये कहते हैं 'नर्मदा के कंकर सब शिवशंकर।

ISSN No. 2581-3528

बंगलादेश के चंद्रनाथ धाम जो चिटगांव के नाम से प्रसिद्ध है। वहां कहते हैं इस दिन अभिशेक करने से सुयोग्य पति पत्नी मिलते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में देश दुनिया से श्रद्धालू पहुंचते हैं। 'शिवरात्रि' का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि सभी हमारे हिन्दू उत्सव दिन में मनाये जाते हैं। पर इस पर्व में रात्रि के चारों पहर अभिषेक होता है। एक साधारण इन्सान शिव के 28 अवतार, शिवपुराण नहीं जानता, उसे बस ये पता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसा सुनता देखता है, वही उसकी पूजा की विधि बन जाती है। जिसे वह श्रद्धा से करता है और श्रद्धा से बुद्धि को बल मिलता है। तुलसीदास ने भी लिखा है

शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपनेहु मोहि नहिं पावा।

1921 से पूरी दुनिया में 8 मार्च महिला दिवस उत्सव के रुप में मनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के कठिनाइयों के सापेक्ष उपलब्धियों को स्लोगन, भाषण, संदेश, लेखन, शायरी और निबंध द्धारा नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 'आट्टुकल पोंगाला' महिला उत्सव अट्टुकल भवानी मंदिर तिरुअनंतपुरम केरल में मनाया जाता है। इन्हीं दिनों मलयालम महिना पंचाग के अनुसार तिथि निकलने पर दस दिन का केरल और तमिलनाडु में उत्सव आट्टुकल पोंगाला मनाया जाता है। ये अपना नाम दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होने के कारण 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है। जिसमें 25 लाख महिलाओं ने गुड़, नारियल, केले से पायसम बनाया। इसमें पुरुशों का प्रवेश मना है। कहते हैं ये 1000 साल पहले से मनाया जा रहा है। तमिल महाकाव्य 'सिलप्पथी कारम' की मुख्य पात्र कन्नकी का यहां अवतार हुआ था। मुख्यदेवी कन्नकी को भद्रकाली के रुप में जाना जाता है। इनका एक नाम अंटुकलाम्मा है। ऐसी मान्यता है दस दिवसीय उत्सव में देवी अटुकल मंदिर में रहती हैं। इनका जन्म भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुआ है। राजा पांडया पर कन्नकी की जीत का जश्न पोंगाला उत्सव है। इन दिनो तिरुवनंतपुरम उत्सव के रंग में रंग जाता है। श्रद्धा से देवी को आट्टुकाल अम्मा कहते हैं। महिलाएं वहीं पर उनको खीर बना कर अर्पित करती हैं। मंदिर के चारों ओर चूल्हे बने होते हैं। पुजारी मंदिर के गर्भग्रह से पवित्र अग्नि देता है। एक से दूसरा चूल्हा जलता है और वह सब पर फूल और पवित्र जल छिड़क कर आशीर्वाद देता है। यह फसल का पर्व है और इस दस दिवसीय उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी (252किमी) नैमिशारण्य परिक्रमा चक्रतीर्थ या गोमती नदी में स्नान करके गजानन को लडडू का भोग लगा कर यात्रा शुरु करते हैं। रोज आठ कोस पैदल चलते हैं। 15 दिन तक ये यात्रा चलती है। महर्शि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान देने से पहले तीर्थो का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। इंद्र ने सभी तीर्थों को नैमिशारण्य में 5 कोस की परिधि में आमंत्रित कर स्थापित किया। महर्शि दधीचि ने सबके दर्शन करके शरीर का त्याग किया था। दूर दूर से श्रद्धालू परिक्रमा करने आते हैं। यात्रा में लोगों का प्यार और सहयोग बहुत मिलता है। भंडारा, चाय और पीने के पानी की व्यवस्था रहती है। बागों में रुकते हैं। कुछ यात्री अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परिक्रमा में वे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, न लड़ते झगड़ते, न ही किसी की निंदा करते हैं। भजन कीर्तन चलता रहता है। मैं जब नैमिशारण्य गई तो कड़ाके की सर्दी थी। मंदिरों में दर्शन करते हुए जरा थकान होने लगती तो मुझे कल्पना में 84 कोसी नैमिशारण्य परिक्रमा करते श्रद्धालु दिखते और मेरी थकान उतर जाती। रामचरितमानस में भी लिखा है

तीरथ वर नैमिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता।

फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यात्रा सम्पन्न होती है। और....

बैर उत्पीड़न की प्रतीक होलिका मुहूर्त पर जलाई जाती है और प्रहलाद यानि आनन्द बचता है जिसे बहुत हर्षोल्लास से शिव के गण बने, एक दूसरे को शिव के बराती बनाते हैं। शिव की बारात(होली का जुलूस) निकालने के बाद सब नए कपड़े पहन कर एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं। जिसके लिए महिलाएं तीन चार दिन पहले से मीठे, नमकीन बनाकर तैयारी करती हैं। 18 अगस्त 1982 में जब मैं नौएडा में शिफ्ट हुई, तब हमारा ब्लॉक में पांचवा घर था और सभी अलग अलग प्रदेश से थे। हम सबने एक दूसरे के घर जाकर गुजिया, नमकीन, कांजी बड़े और जिसके यहां जो बनता था, बनवाने में मदद की और बनाना सीखा। साथ में इतना बतियाये कि आज हम सब बारह सेक्टर छोड़ चुके हैं पर होली ने हमें ऐसा जोड़ा कि हमारे बच्चों के परिवार भी एक दूसरे से मिलते हैं। मुंबई से लेकर कई राज्यों की होली देखी पर इस होली ने तो भारत एक जगह कर दिया था।

यहां की पहली होली में सुबह उत्तराखंड की टोली के मधुर गीत से नींद खुली और बाहर आकर देखा सबके सिरों पर टोपियां थी एक हाथ में ढपली थी और स्लोमोशन में नाचते हुए गा रहे थे

'बेडू पाको बारह मासा, नरेली काफल पाके चैता मेरी छैला'

सब उनका स्वागत व्यंजनों से करते और टोली में शामिल होते गए। जिस भी ब्लॉक या पास के सेक्टरों में गए, सबका चेहरा खुशी से खिल जाता था। अब ये टोली बड़े से टोले में तब्दील हो गई और एक बड़े पार्क में बैठ गई, कहीं से ढोलक भी आ गई थी। नौकरी के कारण अलग अलग राज्यों से आए नगरवासियों ने उसी पार्क में बरसाने की लठ्मार होली, कुमांऊ की बैठकी, हरियाणा की धुलैंडी जिसमें देवर भाभी को सताता है और भाभी धुलाई करती है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन जुलूस निकाल कर मनाते हैं वह भी मनाया। नवरंग और झनक झनक पायल बाजे, वी शान्ताराम की फिल्म के गीत और सिलसिला का लोकगीत रंग बरसे गीत, रसिया और जोगीरा सारा.. रा.. रा.. के सवाल जवाब से तो सांझी होली ने जीवन में रंग भर दिए। दक्षिण भारतीयों ने होलिका दहन की राख माथे पर लगाई तो सबने उन्हें सूखे रंगो से रंग दिया। नार्थ ईस्ट में मणिपुर की दंत कथा के अनुसार रुक्मणी को भगवान कृष्ण, आम भाषा में कहते हैं भगाकर ले गए थे। ज्यादातर इसी से संबंधित लोकगीत होते हैं और जहां कन्हैया हों वहां होली न हो ऐसा हो नहीं सकता!! वहां छ दिन पारंपरिक नृत्य लोक कथाओं पर चलते हैं। मणिपुरी नृत्य का कॉस्ट्यूम विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए नार्थईस्ट वाले तालियों से साथ दे रहे थे।

जिस उत्साह से हम उत्सव मनाते हैं, उसी तरह 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस को आंगन में फुदकने वाली गौरैया को बचाने के लिए, महानगरों में रहने वाले आर्टीफिशियल घोंसला लगाते हैं।

22 मार्च विश्व जल दिवस पर प्रण करना होगा 'न जल बर्बाद करेंगे और न करने देंगे।' इस माह का अंतिम उत्सव शीतला अष्टमी है, मौसम बदलता है इसमें ताजा प्रशाद नहीं बनता एक दिन पहले बनता है उसे बसोड़ा कहते हैं। वही देवी को भोग लगता है और दिनभर खाया जाता है। देवी से प्रार्थना की जाती है कि चेचक, खसरा आदि से बचाये। जल बचाएं, गौरेया बचाएं क्योंकि उत्सवों के रंग तो पर्यावरण के संग ही हैं।

(लेखिका पत्रकार व ब्लॉगर हैं) ■

ISSN No. 2581-3528

केन्द्रीय बजट और पर्यावरणीय पहल

डॉ. आनन्द मधुकर

1 फरवरी 2022 को संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के चार स्तंभों– समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने के कदम– का जिक्र किया। विकास के ये स्तम्भ सीधी तौर पर कई पर्यावरणीय सरोकारों या पहलों से जुड़े हुए हैं। बाद में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने बजट को प्रगतिशील और आमजन के अनुकूल बताया और कहा कि बजट में एक नवीन क्षेत्र खुला है और वह है ग्रीन जॉब्स का। कुल मिलाकर इस वर्ष का बजट स्वच्छ हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला भविष्य का बजट है जो अनेक पर्यावरण संबंधी आयामों को शामिल करता है।

बजट में जल संरक्षण पर फोकस करते हुए केन बेतवा नदी परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इस परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। केन बेतवा नदी परियोजना पूरी होने के बाद इससे बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई की सुविधा और पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही परियोजना में 103 मेगावॉट पनबिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पाादन का भी प्रावधान है। बजट में इसके अलावा देश में पांच अन्य नदी जोड़ो योजनाओं "दमनगंगा–पिंजाल, पार–तापी–नर्मदा, गोदावरी–कृष्णा, कृष्णा–पेन्नार और पेन्नार –कावेरी" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति दे दी गई है और संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनते ही केंद्रीय सहायता देने का काम शुरु हो जाएगा।

दरअसल देश के विभिन्न भागों में सूखे, बाढ़ और जल संरक्षण की समस्या से स्थायी रूप से निजात पाने के लिए काफी लंबे समय से नदियों को जोड़ने की परियोजना पर विचार किया जा रहा था। 1980 में केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय ने कुल 30 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वरूप का बताते हुए उन्हें मंजूर किया था, जिनमें 14 हिमालय क्षेत्र के लिए थीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम शुरु हुआ, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा सका। अब 42 साल के बाद केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जिस पर मोदी सरकार ने जमीन पर काम शुरू किया है। केन बेतवा के अलावा पांच अन्य नदी परियोजनाओं का डीपीआर तैयार होने की घोषणा कर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार वर्षों से लंबित राष्ट्रीय हित और आम जनता के जीवन को सुगम बनाने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बजट का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति के बाद से देश खाद्यान्न उत्पादन में तो क्रमशः आत्मनिर्भर होता गया परन्तु रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स (केमिकल फार्मिंग) के उपयोग ने और भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया। अतः अब बजट में भारतीय कृषि भूमि का और विशेषतः गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र को केमिकल मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती और रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन देगी। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में किसानों की भूमि पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा और साथ ही क्रमिक रूप से

ISSN No. 2581-3528

पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। साथ ही, बजट में केन्द्र सरकार ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है जिसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थिति और गिरते भूमि जल स्तर के बीच मोटे अनाज की खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किसानों की आर्थिक हालत मजबूत बनाने के लिए बजट में एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोत्साहन का फैसला किया गया है, इससे भी पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन :– की चुनौतियां जितनी गंभीर हैं, बजट उनसे निपटने के लिए उतना ही गंभीर दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवम्बर में ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन (कोप 26) में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचामृत मंत्र का जिक्र करते हुए 2070 तक भारत को नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनाने की प्रतिबद्धता जताई थी। अतः अब बजट में बाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैट्री स्वैपिंग नीति को लाया गया है। बैट्री स्वैपिंग नीति खासतौर पर शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत को देखते हुए महत्वपूर्ण है। इसके तहत इलेक्ट्रिक बैट्री से चलने वाले वाहनों की बैटरी को चार्जिंग स्टेशनों पर बदला जा सकेगा, यानी कई घंटे चार्जिंग करने के बजाय कुछ ही मिनटों में बैटरी को बदलने की सुविधा होगी।

केंद्र ने 2030 तक देश में बिकने वाली पैंसेंजर कारों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारों के होने का लक्ष्य रखा है। इस हिसाब से तब देश में 20–22 लाख इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री होगी, जो अभी महज कुछ हजार हैं, अतः इसके लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे कि वे बैटरी व एनर्जी को एक सर्विस उद्योग के तौर पर स्थापित करने में मदद करें। हाल में केन्द्र सरकार ने बैटरी स्टोरेज को लाइसेंस से मुक्त करने की घोषणा भी की थी।

इसके अलावा अब सभी थर्मल पावर प्लांटों को अपने ईंधन के रूप में 5–7 प्रतिशत तक बायोमास का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी और प्रतिवर्ष लगभग 38 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होगी। इसका एक बड़ा असर यह भी होगा कि इससे खेतों में हर साल बड़ी मात्रा में पराली जलने से बच जाएगी। खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए यह बड़ी राहत होगी क्योंकि पराली जलने से यहां के लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है।

इसके साथ ही बजट में देश में हरियाली बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी और निजी वानिकी के नियमों में बदलाव करने की एक नई पहल की गई है। इसके तहत किसान अब बेफिक्र होकर अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर सकते हैं। अब तक किसान निजी भूमि पर पौधारोपण तो कर लेते थे लेकिन उन्हें इसे काटने की अनुमति नहीं होती थी। माना जा रहा है कि इस पहल से देश में हरियाली बढ़ेगी।

बजट में एनर्जी स्टोरेज को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा देने का बड़ा फैसला भी किया गया है, जो कि अहम है। इससे एनर्जी स्टोरेज संबंधित उद्योगों को सस्ती दर पर बैंको से कर्ज मिल सकेगा और साथ ही ढांचागत उद्योंगों को जो कर रियायतें मिलती हैं वो भी मिल सकेंगी। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बैटरी से लेकर रिन्यूएबल एजर्नी से जुड़े विशाल स्टोरेज सिस्टम तक शामिल होंगे।

बजट में अक्षय ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन पर फोकस है। देश की कुल उत्पादन क्षमता में अभी अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से अधिक है। यदि जल उर्जा परियोजनाओं को भी मिला लिया जाए तो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में स्वच्छ स्रोतों का योगदान 38 प्रतिशत से अधिक है। बजट में अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 86 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। अक्षय ऊर्जा की वृद्धि में सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 74 प्रतिशत होगा। बजट में 2030 तक देश में 2.80 लाख मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 19500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इससे देश में ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तमाम उपकरणों जैसे पॉलीसिलिकॉन से लेकर सोलर वीपी मॉड्यूल्स का निर्माण होगा। आयातित सोलर मॉड्यूल्स पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा है। संभवतः सरकार की मंशा अब न्यू एनर्जी में देश को एक निर्यातक के तौर पर स्थापित करने की है। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व समुदाय के समक्ष "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" की संकल्पना का समर्थन करते रहे हैं।

बजट में भारत की तेजी से बढ़ती इकॉनमी के हिसाब से एक उन्नत व विश्वस्तरीय हरित ढांचागत सुविधा अर्थात ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की बात कही गई है। इस क्रम में बजट में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी पर्यावरण के हितों के मुताबिक लगाई जाने वाली परियोजनओं के वित्त पोषण के ग्रीन बॉन्ड जारी करने का संकेत है। ये बॉन्ड सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जारी किए जाएंगे। बजट में अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है जो ग्रीन परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजटीय प्रस्तावों से साफ पता चलता है कि ढांचागत क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल उद्यागों और ग्रीन टेक्नोलॉजी की अहमियत और बढ़ेगी।

ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के साथ देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केन्द्र बनाना शामिल है। इसी क्रम में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित किया गया है।

कुल मिलाकर, इस बजट में सरकार की यह मंशा साफ तौर पर दिखती है कि इसे आजाद भारत के 75वें वर्ष से 100 वर्ष की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यही वजह है कि बजट का फोकस पर्यावरण अनुकूल और भविष्य की पद्धतियों और तकनीकों पर है। संभावना यह है कि इस वर्ष के बजट से न केवल देश में रोजगार के नए पर्यावरण अनुकूल अवसर पैदा होंगे, बल्कि यह भारत को सतत् विकास के रास्ते पर भी ले जायेगा।

(लेखक आई.आई.टी. दिल्ली में सीनियर साइंटिस्ट हैं)

ISSN No. 2581-3528

पहनावा एक पहचान

(बुर्का, हिज़ाब के विशेष सन्दर्भ में)

प्रो. विनोद सिंह भदोरिया

मानव विकास के प्रारंभिक काल से जब से मानव ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए पहले पत्तों का उपयोग किया, फिर जानवरों की खाल का। समय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए कपड़ा एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आया। हालांकि आज भी जंगलों में निवास करने बाली बहुत सी जनजातियाँ तन ढकने के लिए कपड़ों के स्थान पर जानवरों की खाल का ही उपयोग करते है। यह उन्हें अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा के साथ साथ सर्दी गर्मी से भी बचाती है, यही कार्य कपडे भी करते है।

मानव ने अपना तन बदन ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग कब से प्रारम्भ किया, इसका सटीक विश्लेषण या काल गणना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों और समाजविदों का मानना है कि कपड़ों के विकास की गणना मानव शरीर में रहने बाली जूँ की उत्पत्ति की गणना से कर सकते है। जूँ की उत्पत्ति आज से लगभग एक लाख पचास हज़ार वर्ष पहले हुई, इसी आधार पर कपड़े का उपयोग भी मानव द्वारा एक लाख पचास हज़ार वर्ष पूर्व ही हुआ होगा।

फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्यों ने लगभग 170,000 साल पहले कपड़ा पहनना शुरू किया था। इस समय जानवरों के बालों से कपड़ों का निर्माण हुआ।

भारत में जूट, सन, कपास, रेशम, जानवरों के बालों से बने कपड़े ही स्थानीय स्तर पर विकसित एवं निर्मित चलन में आए हैं। प्राचीन भारतीय कपड़ों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता, चट्टानों की कटाई की मूर्तियां, गुफा चित्रों, मंदिरों और स्मारकों में पाए जाने वाले मानव कला के रूपों से प्राप्त मूर्तियों में पाए जा सकते हैं। साड़ी शरीर के चारों ओर लपेटी जा सकती हैं। कपड़े व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी संबंधित थे। समाज के ऊपरी वर्गों ने रेशम के कपड़े पहन लिए थे, जबकि आम वर्ग स्थानीय रूप से बने कपड़ों से बना वस्त्र पहनते थे। उदाहरण के लिए, अमीर परिवारों की महिलाओं के कपड़े विशेष रूप से साड़ी आदि जो रेशम के बने होते थे। लेकिन आम महिलायें ने कपास या स्थानीय उत्पादों से बनी साड़ी पहनती थी।

पहावा का आकार प्रकार, डिज़ाइन, रंग, चित्रकारी पहनने का तरीका देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग–अलग है। आजकल तो कब कहाँ किस तरह के वस्त्र पहनने है, इसके लिए भी वस्त्र विशेषज्ञ है, जो आपके कार्यों के आधार पर, समय के आधार पर, कार्यक्रम, उत्सव के आधार पर वस्त्रों का निर्माण करते है, जो आपकी सामाजिक स्थिति और आपके कार्य व्यवहार को चिंहित करते है। यही आपकी पहचान बनाते है।

अब बात करते हैं वर्तमान में आये पर्दा, हिजाब एवं बुर्का विवाद की।

पहले यह समझना होगा कि पर्दा, हिजाब, बुर्का महिला परिधान का अंग कैसे बने। जैसा की इस लेख में पहले भी बताया गया है कि देश काल परिस्थिति और आवश्यकता के आधार पर ही वस्त्रों का आकार प्रकार निर्धारित होता है। भारतीय परिवेश में पर्दा शादी के बाद लज्जा का एक प्रकार माना गया है जिसमें अपनों से बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखता है, जिसमें सिर के ऊपर साड़ी का पल्लू, दुपट्टा, शाल का एक भाग रखा जाता है। साथ ही इसके दो लाभ भी हैं। पहला खाने में बाल न जाएँ, दूसरा बालों को धूल से बचाना, जिससे स्वस्थ एवं सुन्दर दिखाई दें।

घूंघट कभी भी भारतीय सनातन संस्कृति का अंग नहीं रहा है, क्योंकि की सनातन संस्कृति में बालिका को देवी और महिला को शक्ति का रूप माना गया है, जिसके अनेकों प्रमाण सनातन साहित्य जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता में मिल जायेंगे। अब सवाल यह आता है की फिर घूंघट का चलन भारतीय समाज में आया कैसे?

इसका उत्तर जानने के लिए इतिहास के पन्नों पर नजर डालते है – भारत पर विदेशी शासकों की नजर 326 ईसा पूर्व से ही रही है, क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था अर्थात् भारत विकास सम्पन्नता और सामाजिक स्तर में विश्व के अन्य देशों से कई गुना ज्यादा संपन्न था। इसका प्रमाण उस समय के कई विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण में मिलता है। इस काल में शिक्षा अपने शिखर पर थी और देश में अनेकों गुरुकुल खुले हुए थे। एक अनुमान के अनुसार उस समय गुरुकुलों की संख्या लगभग सात लाख थी। जिनमें 30 से अधिक विषयों का अध्ययन होता था। साथ ही देश में 20 से अधिक विश्वविद्यालय थे जिनमें प्रमुख नालंदा एवं तक्षशिला के अवशेष आज भी मिलते है।

अखण्ड भारत पर धन सम्पन्नता की लालसा में 326 ईसा पूर्व से सिकन्दर के आक्रमण में पोरस से पराजय के बाद कई विदेशी आक्रान्ताओं ने प्रयास किया परन्तु सफलता नहीं मिली, जिसके कारण वापस लौट गए। भारत 1190–91 के पूर्व पूर्ण रूप से भारतीय राजाओं से शासित था, परन्तु 1191 में गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर अपने देश गजनी वापस लौट गया, परन्तु अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी करके पुनः 1192 में आक्रमण किया जिसमें वह विजयी हुआ। इसके बाद भारत में विदेशी तुर्क, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सय्यद, लोधी के बाद 1526 में मुग़ल वंश की नींव रखी गई।

मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ओरंगजेब और अंतिम मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह जफ़र ने 1857 की क्रांति तक राज्य किया। वर्ष 1525 से 1857 तक इन आक्रान्ताओं ने भारत के नागरिकों पर तरह तरह के जुर्म किये। तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन किया गया, जिन्होंने नहीं माना उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देने के बाद सर कलम कर शहर के चौराहों पर लटका दिए गए, महिलाओं की इज्जत आबरू तार तार की गई। यहाँ से महिलाओं और बालिकाओं को जबरन ले जाकर उन्हें चौराहों पर दो दो आना में नीलाम किया गया। क्योंकि इनके यहाँ तो महिला को

ISSN No. 2581-3528

केवल और केवल भोग की वस्तु समझा जाता है।

भारतीय समाज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकलते समय सर पर बड़ा सा घूंघट डालकर निकालने के लिए कहा गया, जिससे महिला को भोग की वस्तु समझने वालों की निगाहों से बचा जा सके। कालांतर में धीरे धीरे यह प्रथा के रूप में भारतीय समाज में आ गई। परन्तु आज देश स्वतंत्र है फिर भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जायेगें जहां महिलाओं का यथोचित सम्मान नहीं किया जाता। समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब समाज में ऐसे लोगों का पतन हो जायेगा। घूंघट प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी, जैसा की आज भारतीय समाज में देखा जा सकता है, जहाँ महिला सुरक्षित है वहां घूंघट नहीं है।

हिजाब और बुर्का - जैसा की लेख में पहले भी स्पष्ट किया गया है की महिलाओं के परिधान, देश–काल स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति एवं भौतिक आवश्यकता के आधार पर पहनावा चलन में आता है। इस्लाम का उदय 570 ईस्वी में सऊदी अरब से माना जाता है, अब यह स्वभाविक है कि सर्व प्रथम अरब के देशों में ही इस्लाम का विकास हुआ होगा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखें तो पाएंगे की ज्यादातर अरब क्षेत्र रेत से ढाका हुआ है। यहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में वृक्ष है और ना ही पानी। इस स्थिति में पहनावा और कपड़ों का रंग इस प्रकार का हो, जो धूल भरी हवाओं से सुरक्षा दे, साथ ही ज्यादा दिनों तक उपयोग किया जा सके। अतः गहरे रंग जैसे काला, लाल, नीला, मटमैला रंग के साथ सफ़ेद रंग भी चलन में आया, जिसे शोक और शांति का प्रतीक माना गया, जिसके आज भी उदहारण देखने को मिल जायेंगे। सामान्य पहनावे में सफ़ेद के साथ काला, लाल, नीला और पीला रंग उपयोग में आया, आज भी ज्यादातर आमजन इसी रंग के कपडे पहनते है, पहनावा इस तरह का होता है की सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढका रहे, जिससे रेतीली धूल से बचा जा सके।

भोगोलिक परिवेश में जहां निवास स्थान के पास वन जंगल पहाड़ थे वहां महिला पुरुष ने मल मूत्र विसर्जन के अलग अलग क्षेत्रों का चुनाव सुविधा के अनुसार कर लिया, जिससे महिलाओं की निजता भंग न हो। परन्तु समतल एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह समस्या हुई कि, क्या उपाय किया जाये की निजता भंग न हो, उस स्थिति में महिलाएं दिन निकलने से पूर्व और दिन समाप्त होने के बाद ही निवास स्थान से मल मूत्र त्याग हेतु जाने लगी। इसमें भी निजता भंग होने का डर रहता था। इस समस्या के निदान के रूप महिलाएं ऐसे परिधान का उपयोग करें जिससे उनकी पहचान को छुपाया जा सके, जिससे उनकी निजता भंग न हो। अरब देशों में अधिकतर क्षेत्र मरुस्थलीय है जहाँ रेत की धुल भरी हबाएं चलती रहती है, इस कारण इस प्रकार के परिधान का उपयोग किया जाये जो पूरे शरीर को छुपा सके और उसका रंग ऐसा हो की गन्दगी छुप जाये, इस कारण रंग काला चुना गया और परिधान का नाम दिया गया 'बुर्का' जिसका उपयोग मल विसर्जन के समय किया जायेगा। कालांतर में महिलाएं अपने परिधानों को गन्दगी से सुरक्षित करने के लिए सामान्य जीवन में भी इसका उपयोग करने लगी।

वर्तमान समय में इस परिधान का उपयोग नहीं है, क्योंकि विकास के इस काल में स्थितियां बदल रही है, जिस उद्देश्य से इसका उपयोग होना शुरू हुआ था उसका ओचित्य अब नहीं है, इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों में बुर्का पर प्रतिबन्ध लगता जा रहा है, जिस परिवार से यह चलन में आया उसके वंशज इस परिधान से निजात पा चुके है। परन्तु कुछ मुस्लिम संगठन, पुरुष प्रधानता को बनाये रखने के लिए इस प्रकार की कुप्रथा के पक्षधर है, उनकी दाल रोटी इसी से चल रही है।

जहाँ एक ओर विश्व के अधिकांश मुस्लिम देश हिजाब और बुर्का प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा रहे है, वही भारत में इस पर माहौल गर्म किया जा रहा है, इस्लाम का अभिन्न अंग बताया जा रहा है। यह सत्य है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, किसे क्या पहनना है, किस मत, पंत, विचारधरा का अपने जीवन में अनुपालन करना है यह उसका स्वयं का निर्णय है। उसे किस प्रकार की पूजा पद्धति अपनानी है यह उनका अपना निर्णय है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति महिला हो या पुरुष, किसी भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय से सम्बंधित क्यों न हो, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, यह उस पर निर्भर करता है परन्तु जब वह व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष, किसी संस्था में कार्य करता है तब उस संस्था द्वारा निर्धारित मानदंडो का ही पालन करना होगा, जैसे विभिन्न प्रकार की सुरक्षा से सम्बंधित सेना या पुलिस में, निर्धारित यूनीफार्म ही पहननी होगी, साथ ही निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

इसी क्रम में विद्यालय एक उपक्रम, संगठन या संस्था है जहां सभी धर्म, पंथ, वर्ग, संप्रदाय के बालक बालिका विद्या अध्ययन के लिए आते है। प्रत्येक विद्यालय के अपने अपने मानक होते है जैसे प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी ?, विद्यालय का समय क्या होगा ?, बालक बालिका विद्यालय में किस प्रकार की पोशाक पहनकर आयेगें, जिसे सामान्यतः यूनिफार्म कहते है। जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सके।

मानसिक रूप से विकृत लोगों द्वारा आज बुर्का और हिज़ाब का मुद्दा बनाया जा रहा है। कल छात्र – छात्राओं को बहला–फुसला कर इस तरह के मुद्दों को हवा न दी जाए, इसके लिए शासन, प्रशासन एवं न्यायपालिका से कठोर कदम उठाए जाने की अपेक्षा है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एक देश एक यूनिफॉर्म, समान नागरिक संहिता का अधिनियम, जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पारित कर देश के नागरिकों में समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिससे देश में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा और राष्ट्र तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

(लेखक हिंदुपत इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, राघोगढ़, गुना (मध्य प्रदेश) में प्राचार्य हैं)

ISSN No. 2581-3528

छद्म धर्मनिरपेक्षता और राजनीति

डॉ. उर्विजा शर्मा

आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हुए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तनों के साथ–साथ कतिपय प्रश्न भी उपस्थित हुए हैं। यदि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर दृष्टि डालें तो कहा गया है कि – "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित ओर आत्मार्पित करते हैं।" दृष्टव्य है कि संविधान की उक्त प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 24 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गये। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि "जब हम भारत के लोग" से प्रस्तावना का प्रारंभ होता है तो उक्त दोनों शब्दों को जोड़ने की क्या आवश्यकता उत्पन्न हुई।

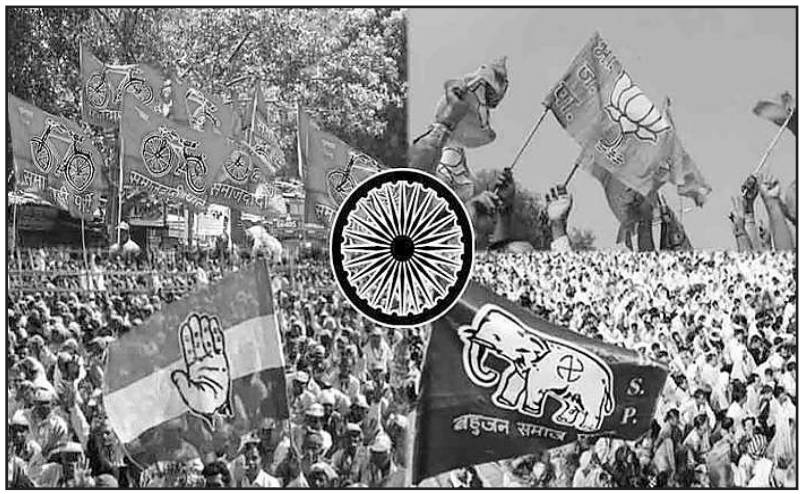

वास्तव में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं सत्ता लोलुपता ने ही संभवतः तत्कालीन सरकार को ऐसा करने को विवश किया। वैसे यदि हम "धर्मनिरपेक्ष" एवं "पंथनिरपेक्ष" होने का दंश भरते हैं तो क्या वास्तव में हम धर्म अथवा पंथ से विमुख हो जाते है ? धर्म की राजनीति करना एवं राजनीति में धर्म को लाना मानो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक अंग बन गया है। इसी कारण तथाकथित सैक्युलर होने के दंश में हम कभी–कभी बहुसंख्यक लोगों के धर्म पर प्रहार कर देते हैं। वैसे भी धर्मनिष्ठता एवं धार्मिक उन्माद व कट्टरता में तात्विक अंतर होता है।

यहां यह भी प्रश्न है कि क्या किसी एक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए हम बहुसंख्यक वर्ग के हितों की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी धर्म की पूजा, पद्धति, त्यौहारों, पर्वों पर अपना समस्त ज्ञान उढेलकर सोशल मीडिया पर बने रहने की आकांक्षा भी इसका एक टूलकिट है।

जहां बात राजनीति की होती है वहां यह स्वरूप और भी उग्र हो जाता है। 'धर्मनिरपेक्ष दल' का तमगा लगाकर राजनीतिक सौदेबाजी एक फैशन बन चुका है। किंतु यहां प्रश्न यह है कि इसकी परिभाषा निर्धारित करने का मापदंड क्या है कि मौन सैक्युलर है और कौन कम्यूनल ? क्योंकि जब हम सत्ता के मैदान में उतरते हैं तो सारे समीकरण व सिद्धांत ताक पर रख देते हैं। इसी कारण ऐसी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता जो राष्ट्रविरोध के स्वर से परिव्याप्त हो उसको छद्म धर्मनिरपेक्षता ही कह सकते हैं।

वैसे भी धर्म का अभिप्राय ही है– "यतोऽभ्युदयनि : श्रेयससिद्धि सः धर्म"। अर्थात् धर्म वह अनुशासित जीवन क्रम है, जिसमें लौकिक उन्नति (अविद्या) तथा आध्यात्मिक परमगति (विद्या) दोनों की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो धारयति – इति धर्मः। अर्थात् जो सबको संभाले हुए हैं अथवा धारण करने योग्य। मनु ने धर्म के दस लक्षण बताए हैं।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्।।

यदि राजनीति दृष्टिकोण से देखें तो उक्त लक्षणों को संभवतः ताक पर रखकर ही राजनीतिक स्वार्थसिद्धि संभव है। संभवतः यही कारण है कि "धर्मनिरपेक्ष" होने का तमगा लगा लेना ज्यादा सरल होता है। अब समय आ गया है कि हम राजनीति में भी शुचिता, कर्मठता एवं जवाबदेही तय करें। सर्वप्रथम 'राष्ट्र' एवं 'राष्ट्रीयता' के भाव को केन्द्र में रखा जाये तभी सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत का स्वप्न सरोकार हो सकेगा। इसके लिए कई मुखौटे उतारने का समय है जिससे राजनीति 'राष्ट्र' के लिए हो स्वयं अथवा अपने संबंधियों के उद्धार के लिए नहीं। संभवतः भारत राष्ट्र जो एक जीवित आत्मा के समान पूज्य है, उसके जागरण का समय आ चुका है।'

(लेखिका एसडीपीजी कॉलेज गाजियाबाद में हिन्दी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है)

ISSN No. 2581-3528

सप्तपुरियों में से एक : अयोध्या

शिखा सिंह

भारत की प्राचीन एवं पवित्र नगरियों में से एक अयोध्या को हिन्दू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, कांची, अवंतिका (उज्जयिनी) और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंदपुराण के अनुसार अयोध्या शब्द 'अ' कार ब्रह्मा, 'य' कार विष्णु है तथा 'ध' कार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अयोध्या नगर की स्थापना हेतु स्थान चयन–पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णुजी ने उन्हें साकेतधाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णुजी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीलाभूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंदपुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है।

राम की ऐतिहासिकता 1600 ई. पू. तक पहुंचती है। उसके बाद से मूर्ति, सिक्के और अभिलेखों के रूप में उनका प्रचुर ब्योरा मिलता है। यह उनकी ऐतिहासिकता का पुष्ट प्रमाण है क्योंकि ऐसे लेखों और ब्योरों में उसी के होने की परंपरा रही है, जो ऐतिहासिक हो। यदि राम मिथ होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। इतिहास में परंपरा के रूप में सतत् विद्यमान राम का विवरण प्रस्तुत किया जाता रहा है। दूसरी शताब्दी ई. पू. के शुंग काल में रामकथा का विधिवत स्वरूप मिलता है। इसी दौर के विद्वान अश्वघोष कृत बुद्ध चरितम् में भी रामकथा का विवरण मिलता है। राम का दैवीकरण 1600 ई. पू. में प्राप्त होता है। कुषाण काल तक राम देवता के रूप में प्रस्तुत हो चले थे। वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता चौथी–पांचवीं शताब्दी तक इंगित होती है। इससे भी प्राचीन मानी जाने वाली जैन परंपरा में राम की गणना 63 महापुरुषों की सूची में हुई है। छांदोग्यपनिषद से भी राम के बारे में प्रमाण मिलता है। अभिलेखों में गौतमी पुत्र शातकर्णि को राम, परशुराम, अंबरीष के समान शूरवीर बताया गया है। इंडोचाइना, पश्चिम, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में भी राम की ऐतिहासिकता के प्रमाण बिखरे मिलते हैं। यह कहना अनर्गल है कि राम हुए ही नहीं। सरयू बाग संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामकृष्ण शास्त्री के अनुसार–राम ब्रह्मैव नापरः यानी वे ब्रह्म हैं और उनकी मूल परंपरा इतिहास से परे है। वे शाश्वत हैं। राम को परमात्मा व इतिहास पुरुष, दोनों रूपों में कहने का प्रयास किया गया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिन्दुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसकी ऐतिहासिकता और इतिहास के तथ्य जानना बहुत आवश्यक है।

सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई

ISSN No. 2581-3528

थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्माजी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र– इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करुष, महाबली, शर्याति और पृषध थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्रीराम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। बेंटली एवं पार्जिटर जैसे विद्वानों ने 'ग्रह मंजरी' आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ई.पू. 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है।

यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्रीराम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि–मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ (ऋषभदेव जी) के साथ चार अन्य तीर्थंकरों का जन्मस्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर (झूंसी) के इतिहास का उद्गम ब्रह्माजी के मानस पुत्र मनु से ही सम्बद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहां के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था, उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारम्भ हुआ। भगवान श्रीराम के बाद बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ, अभिमन्यु के हाथों 'महाभारत' के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़–सी गई लेकिन उस दौर में भी श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच मान्यता रही और पूजा–पाठ का कार्य जारी रहा। लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं, उसके अनुसार कालातंर में मंदिर तो बना रहा लेकिन अयोध्या धीरे–धीरे उजड़ती गई। इतिहास के अनुसारस, उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राममंदिर का निर्माण करवाया। साक्ष्यों के अनुसार, ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य टहलते–टहलते अयोध्या पहुंच गए थे। जब वह थक गए तो उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, तब उनको वहां पर कई चमत्कार दिखाई दिए। उस वक्त तक अयोध्या में कोई बनावट नहीं बची थी, केवल जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की तब साधु–संतों से पता चला कि यह भगवान राम की जन्मस्थली है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ–साथ सरोवर, महल, कूप आदि कई विकास के कार्य किए। बताया जाता है कि उस वक्त राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। हर कोई भगवान राम के साथ उस भव्यता को चमत्कार करता। विक्रमादित्य के बाद कई राजा मंदिरों की देखभाल करते रहे और पूजा–पाठ का कार्य जारी रहा।

इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र को अयोध्या से एक शिलालेख मिला, जिसमें पता चलता है कि अयोध्या गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी रही थी। साथ ही उस समय के कालिदास ने भी कई बार अयोध्या के राममंदिर का उल्लेख किया है। उसके बाद कई राजा–महाराजा आए और राम मंदिर की देखभाल करते रहे।

इतिहासकारों की मानें तो 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहां पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ। तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक यहां पर कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और उनके साथ हिंदुओं का एक भव्य मंदिर भी था, जहां हर रोज दर्शन करने के लिए आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारी आए और उन्होंने अयोध्या समेत, मथुरा, काशी पर आकम्रण कर दिया और मंदिर को तोड़ा गया और पुजारियों की हत्या की गई। अंत में यहां महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ई. में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया, विशेषरूप से शक शासक महमूद शाह के शासन काल 1440 ई. में।

लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में बने राममंदिर को तोड़ नहीं पाए। बताया जाता है कि सिंकदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी भव्य राममंदिर था। 1526 ई. में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहां आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया जो 1992 में मंदिर–मस्जिद विवाद के चलते रामजन्मभूमि आन्दोलन के दौरान ढहा दी गई।

विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन् 1527–28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंदजी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद राममंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया और इसके साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का भक्तों का सपना भी पूरा हो गया। जल्द ही यहां पर रामलला का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। **(लेखिका ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बाल्मीकि रामायण पर शोध कार्य किया है)**

भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मन्दिर

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त)
एच-107 सैक्टर-12, नोएडा, दूरभाष - 0120 2536903, 2532755, 9910665195
E-mail : bdsvidyamandir@gmail.com

गतिविधियों का आलय

पंचपदी शिक्षा प्रणाली

स्मार्ट क्लास का प्रयोग

कम्प्यूटर लैव

विशाल क्रीड़ा स्थल

सुसज्जित प्रयोगशालाएं

सतत् मूल्यांकन पद्धति

शैक्षिक यात्राएं

कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षायें

ऑफलाइन कक्षायें

ऑनलाइन शिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए विद्यालय को सम्मान

भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मन्दिर

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त)
एच-107 सैक्टर-12, नोएडा, दूरभाष - 0120 2536903, 2532755, 9910665195
E-mail : bdsvidyamandir@gmail.com

गतिविधियों का आलय

विशाल संस्कृति भवन

उत्कृष्ट पुस्तकालय

डिजिटल पुस्तकालय

विशाल विद्यालय भवन

पूर्व छात्र परिषद् क्रियाकलाप

संस्कार केन्द्र

सांस्कृतिक व शारीरिक गतिविधियां

शिक्षाविदों व समाजसेवियों का प्रतिनिधित्व

समुचित चिकित्सा व्यवस्था

कोरोना काल में ऑनलाइन पुस्तकालय